विद्युत–दर अनुसूचियां

(TARIFF SCHEDULES)

(वित्तीय वर्ष 2017–18)

वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

निम्न दाब (लो टेंशन–एलटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

अनुक्रमणिका

विद्युत–दर अनुसूचियां (Tariff Schedules)	पृष्ठ क्रमांक
एलवी–1 घरेलू (LV-1 Domestic)	3
एलवी–2 गैर–घरेलू (LV-2 Non- Domestic)	6
एलवी–3 सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य एवं पथ–प्रकाश (LV-3 Public Water works and Steel Lights)	10
एलवी–4 निम्न दाब औद्योगिक–गैर मौसमी तथा मौसमी, (LV-4 LT Industrial-Non-Seasonal and Seasonal)	12
एलवी–5 कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां (LV-5 Agricultural and Allied Activities)	15
निम्न दाब विद्युत–दर की सामान्य निबन्धन एवं शर्तें (General Terms and Conditions of Low Tension Tariff)	21

––––––

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–1

घरेलू (Domestic) :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) केवल आवासीय उपयोग के लिये बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी। इस श्रेणी के अंतर्गत धर्मशालाएं, गौशालाएं, वृद्धावस्था आवास गृह (ओल्ड एज होम्स), वरिष्ठ नागरिकों हेतु दिवा–देखभाल केन्द्र (डे केयर सेंटर्स), सुधारालय (रेसक्यू हाऊसेज), अनाथालय, पूजा–स्थल तथा धार्मिक संस्थाएं भी शामिल होंगे।

विद्युत–दर (टैरिफ) (Tariff) :

एलवी 1.1 [100 वॉट (0.1 किलोवाट) से अनाधिक स्वीकृत भार के उपभोक्ताओं हेतु जिनकी प्रतिमाह विद्युत खपत 30 यूनिट प्रति माह से अधिक नहीं है]

(क) ऊर्जा प्रभार (Energy Charge) तथा स्थाई प्रभार (Fixed charge) – मीटरीकृत संयोजन (metered connection) हेतु

मासिक खपत (यूनिट में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)
30 यूनिट तक	310	शून्य

(ख) न्यूनतम प्रभार (minimum charges) – इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम प्रभारों के रूप में रूपये 40 प्रति संयोजन प्रति माह की दर लागू होगी।

एलवी 1.2

(i) **ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार**– मीटरीकृत संयोजन हेतु

मासिक खपत के खण्ड (Slabs) (यूनिट में)	ऊर्जा प्रभार मय दूरबीनी (टेलिस्कोपिक) प्रसुविधा के (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
50 यूनिट तक	385	50 प्रति संयोजन	35 प्रति संयोजन
51 से 100 यूनिट तक	470	90 प्रति संयोजन	65 प्रति संयोजन
101 से 300 यूनिट तक	600	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर रूपये 100 की दर से	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर रूपये 85 की दर से
300 यूनिट से अधिक	630	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर रूपये 110 की दर से	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर रूपये 105 की दर से

न्यूनतम प्रभार : उपरोक्त श्रेणियों के रू. 60 प्रति संयोजन प्रति माह के न्यूनतम प्रभार ऊर्जा प्रभारों हेतु लागू होंगें।

टीप : अधिकृत भार वही होगा जैसा कि इसे मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 (समय–समय पर यथासंशोधित) में परिभाषित किया गया है (प्रत्येक 75 यूनिट प्रति माह की खपत

अथवा उसके किसी अंश को आधा किलोवाट के अधिकृत भार के समतुल्य माना जाएगा। उदाहरण : यदि किसी माह के दौरान खपत 125 यूनिट हो तो अधिकृत भार को एक किलोवाट माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि किसी माह में खपत 350 यूनिट हो तो अधिकृत भार को 2.5 किलोवाट माना जाएगा) ।

अस्थाई / वितरण ट्रांसफार्मर मापयन्त्र संयोजन	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी क्षेत्र / ग्रामीण श्रेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी	ग्रामीण
स्वयं के गृह निर्माण हेतु अस्थाई संयोजन (अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु)	830	प्रत्येक एक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रू. 390	प्रत्येक एक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रू. 350
सामाजिक / वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोहों हेतु अस्थाई संयोजन	830	प्रत्येक एक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु रू. 70	प्रत्येक एक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु रू. 55
वितरण ट्रांसफार्मर मापयन्त्र (मीटर) द्वारा झुग्गी–झोपड़ी समूह हेतु जब तक व्यक्तिगत मापयंत्र (मीटर) उपलब्ध नही करा दिये जाते	330	शून्य	शून्य

न्यूनतम प्रभार : अस्थाई संयोजन हेतु, ऊर्जा प्रभारों के लिये रूपये 1000/– प्रति संयोजन प्रति माह के प्रभार लागू होंगे तथा झुग्गी–झोपड़ी समूहों हेतु वितरण ट्रांसफार्मर मापयंत्र (मीटर) द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु कोई भी न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे।

(ii) 500 वाट तक के संयोजित भार से युक्त ग्रामीण अमीटरीकृत संयोजनों हेतु ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार (Energy Charge and Fixed charge for un-metered rural domestic connections having connected load upto 500 watts) :

विवरण	अमीटरीकृत संयोजनों हेतु प्रतिमाह बिल किये जाने वाले यूनिट तथा ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)
ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन जिनके संयोजित भार 300 वाट से अधिक तथा 500 वाट तक सीमित हैं	75 यूनिट हेतु, 430 पैसे प्रति यूनिट की दर से	75 प्रति संयोजन

ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन जिनके संयोजित भार 200 वाट से अधिक तथा 300 वाट तक सीमित हैं (दो कमरों तक तथा टेलीवीजन सुविधा धारित करने वाले)	60 यूनिट हेतु, 417 पैसे प्रति यूनिट की दर से	50 प्रति संयोजन
ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन जिनके संयोजित भार 200 वाट तक सीमित हैं (दो कमरों तक तथा टेलीवीजन सुविधा से विहीन)	50 यूनिट हेतु, 310 पैसे प्रति यूनिट की दर से	45 प्रति संयोजन

टीप : न्यूनतम प्रभार – इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये किसी प्रकार के न्यूनतम प्रभार लागू न होंगे।

एलवी–1 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

(क) बिलिंग के प्रयोजन से कतिपय झुग्गी–झोपड़ी के समूहों से संबद्ध वितरण ट्रांसफार्मर मीटर में अभिलिखित की गई विद्युत खपत से तत्संबंधी ऊर्जा प्रभारों को उक्त वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं के मध्य बराबर–बराबर विभाजित किया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग हेतु ऐसे उपभोक्ताओं की सहमति भी प्राप्त की जाएगी।

(ख) ऐसे प्रकरण में जहां वास्तविक खपत हेतु ऊर्जा प्रभार न्यूनतम प्रभारों से कम हों, वहां ऊर्जा प्रभारों के प्रति न्यनूतम प्रभारों की बिलिंग की जाएगी। अन्य समस्त प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य है, की बिलिंग भी की जाएगी।

(ग) अन्य निबन्धन तथा शर्ते वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(घ) पूर्व भुगतान उपभोक्ताओं (Prepaid consumers) के प्रकरण में मूलभूत ऊर्जा (basic energy) पर 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट (rebate) लागू होगी तथा अन्य समस्त प्रभारों की गणना प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर छूट के बाद की जाएगी। उपभोक्ता जो पूर्व भुगतान मापयंत्र से विद्युत प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करता हो, उसे प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) (security deposit) जमा करना आवश्यक न होगा।

(ङ) अस्थाई आवश्यकता के प्रकरण में, स्वीकृत भार के 10 प्रतिशत भाग को विद्यमान मीटरीकृत स्थाई घरेलू संयोजन से स्थाई संयोजन हेतु लागू समकक्ष दर पर उपयोग किया जाना अनुज्ञेय किया जाएगा।

<u>विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–2</u>

<u>गैर–घरेलू (Non-Domestic) :</u>

<u>एलवी 2.1</u>

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर शालाओं/शैक्षणिक संस्थाओं मय अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निकों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) (जो किसी शासकीय निकाय अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत/से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त हैं) स्थित कर्मशालाओं (वर्कशाप) तथा प्रयोगशालाओं को, विद्यार्थियों अथवा कामकाजी महिलाओं अथवा खिलाड़ियों हेतु छात्रावासों (हॉस्टल) को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

विद्युत–दर निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
स्वीकृत भार आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) (केवल 10 किलोवाट तक के संयोजित भार के लिये)	610	130 प्रति किलोवाट	100 प्रति किलोवाट
10 किलोवाट से अधिक **अनिवार्य (Mandatory)** मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ)	610	240 प्रति किलोवाट अथवा रू. 192 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर	200 प्रति किलोवाट अथवा रू. 160 एक प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर

<u>एलवी 2.2</u>

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) रेलवे {रेलवे कर्षण (ट्रैक्शन) तथा रेलवे कालोनीं/जलप्रदाय व्यवस्था के प्रयोजन को छोड़कर}, दुकानों/शोरूम, बैठक–कक्ष (पारलर), समस्त कार्यालयों, अस्पतालों, तथा चिकित्सा देखभाल सुविधाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सम्मिलित कर, औषधालयों (क्लीनिकों), नर्सिंग होम (जो शासन या सार्वजनिक या निजी संस्थाओं से संबद्ध हैं), सार्वजनिक भवनों, अतिथि–गृहों (गेस्ट हाऊसों), सर्किट हाऊस, शासकीय विश्राम गृहों, क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे

प्लांट), मान्यता–प्राप्त लघु स्तर के सेवा संस्थानों, क्लब, रेस्टॉरेंट, खान–पान संबंधी स्थापनाओं, बैठक–परिसरों (मीटिंग हाल), सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, सर्कस–प्रदर्शनों, होटलों, सिनेमाघरों, व्यावसायिक परिसरों (चेम्बर्स) {यथा, अधिवक्ताओं, सनदी लेखापालों (चार्टर्ड अकाऊंटेंट), परामर्शदाताओं, चिकित्सकों आदि के} बॉटलिंग संयंत्रों, वैवाहिक उद्यान–स्थलों (मैरिज गार्डन), विवाह–घरों, विज्ञापन–सेवाओं, विज्ञापन पटलों (बोर्डों)/होर्डिंग, प्रशिक्षण अथवा कोचिंग संस्थाओं, पेट्रोल पंपों तथा सेवा केन्द्रों (सर्विस स्टेशन), सिलाई कार्य की दुकानों (टेलरिंग शॉप), वस्त्र धुलाई–घर (लाउण्ड्री), व्यायाम–घर (जिमनेजियम), स्वास्थ्य–क्लब (हेल्थ–क्लब) मोबाईल संचार हेतु दूरसंचार टॉवर तथा अन्य कोई स्थापना (एलवी 2.1 श्रेणी में सम्मिलित की गई संस्थाओं को छोड़कर) जिन्हें केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों के अंतर्गत वाणिज्यिक–कर/सेवा–कर/वेल्यू एडिड टैक्स (वैट)/मनोरंजन–कर/विलास–कर (लक्ज़री टैक्स) का भुगतान करने संबंधी अनिवार्यता हो, को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु प्रयोज्य है।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

विद्युत–दर (टैरिफ) निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप–श्रेणी	**ऊर्जा प्रभार, (पैसे/यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में**	**मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)**	
		शहरी क्षेत्रों में	**ग्रामीण क्षेत्रों में**
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक खपत 50 यूनिट से अधिक न हो	620	70 प्रति किलोवाट	55 प्रति किलोवाट
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि खपत की मात्रा 50 यूनिट से अधिक है	740	115 प्रति किलोवाट	100 प्रति किलोवाट
10 किलोवाट से अधिक संयोजित भार हेतु **अनिवार्य (Mandatory)** मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ)	640	260 प्रति किलोवाट अथवा रू. 208 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	190 प्रति किलोवाट अथवा रू. 152 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर
अस्थाई संयोजन, मेला स्थलों* हेतु निम्न दाब पर बहु–बिन्दु अस्थाई संयोजन को सम्मिलित करते हुए	850	220 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो	190 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार, (पैसे / यूनिट) शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में	स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
वैवाहिक प्रयोजनों हेतु, विवाह उद्यान स्थल (मैरिज गार्डन) अथवा विवाह–घर (मैरिज हॉल) अथवा एलवी 2.1 तथा 2.2 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले अन्य परिसरों हेतु अस्थाई संयोजन	850 (न्यूनतम खपत प्रभारों की बिलिंग 6 यूनिट प्रति किलोवाट भार पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, पर की जायेगी जो न्यूनतम राशि रू. 500/– के अध्यधीन होगी)	85 प्रत्येक किलो वाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो,	65 प्रत्येक किलो वाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो,
क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट) हेतु	अतिरिक्त स्थाई प्रभार (रूपये प्रति मशीन प्रति माह)		
एकल फेज	540		
तीन फेज	760		
दंत क्ष–किरण मशीन (डेंटल एक्सरे मशीन)	120		

* केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जबकि मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मेला आयोजन की अनुमति प्रदान की गई हो।

एलवी–2 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन एवं शर्तें

(क) **न्यूनतम खपत :** उपभोक्ता को **स्वीकृत भार अथवा संविदा मांग (मांग आधारित प्रभारों के प्रकरण में)** हेतु शहरी क्षेत्रों में 240 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 180 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत को प्रत्याभूत (गारंटी) करना होगा। परन्तु, न्यूनतम खपत की गणना हेतु उपभोक्ता के संयोजित भार पर विचार करते समय, क्ष–किरण इकाई के भार को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

(ख) **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :** इस मद की बिलिंग निम्न–दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में निर्दिष्टानुसार की जाएगी।

(ग) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(घ) श्रेणी एलवी–1 तथा एलवी–2 हेतु : 10 किलोवाट से अधिक संयोजित भार धारित करने वाले उपभोक्ताओं हेतु मांग आधारित विद्युत–दर अनिवार्य है। विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसके लिये ट्राईवेक्टर/बाईवेक्टर मापयन्त्र (मीटर), जो मांग को किलोवोल्ट एम्पीयर/किलोवाट, किलोवाट ऑवर, किलोवोल्ट एम्पीयर आवर में अभिलेखन हेतु सक्षम है, उपलब्ध कराया जाएगा।

(ङ) पूर्व भुगतान उपभोक्ताओं (Prepaid consumers) के प्रकरण में, मूलभूत ऊर्जा (basic energy) प्रभारों हेतु 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट (rebate) लागू होगी तथा अन्य समस्त प्रभारों की गणना प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर छूट के बाद की जानी चाहिए। एक उपभोक्ता जो पूर्व भुगतान मापयंत्र से विद्युत प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करता हो, उसे कोई प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) (security deposit) जमा करना आवश्यक न होगा।

——————

<u>विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–3</u>

<u>सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य एवं पथ–प्रकाश (Public Water Works and Street Lights) :</u>

प्रयोज्यता :

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुक्रमांक **एलवी–3.1** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग अथवा नगरीय निकायों अथवा ग्राम पंचायतों अथवा कोई अन्य संस्था जिन्हें शासन द्वारा जलप्रदाय/जलप्रदाय संयंत्रों/जलमल संयंत्रों का उत्तरदायित्व जनोपयोगी जलप्रदाय योजनाओं, जलमल उपचार संयंत्रों (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), जलमल पंपिंग संयंत्रों हेतु जलप्रदाय/सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्रों/जलमल संस्थापनों के अनुरक्षण हेतु दायित्व सौंपा गया हो, को लागू होगा तथा यही दर नगरीय निकायों/न्यासों द्वारा संधारित विद्युत शव–दाह गृहों (Electric crematorium) को भी लागू होगी।

टीप : निजी जलप्रदाय योजनाएँ, संस्थाओं आदि द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों/टाऊनशिपों हेतु संचालित की जा रही जलप्रदाय योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी। इनकी बिलिंग समुचित विद्युत–दर (टैरिफ) श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे उक्त संस्था संबद्ध है। यदि जलप्रदाय का उपयोग दो या दो से अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा हो, तो ऐसी दशा में सम्पूर्ण खपत की बिलिंग उक्त प्रयोजन हेतु की जाएगी, जिस हेतु विद्युत–दर उच्चतर है।

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुक्रमांक **एलवी–3.2** यातायात संकेतों (ट्रैफिक सिग्नल), सार्वजनिक मार्गों अथवा सार्वजनिक स्थलों की प्रकाश व्यवस्था मय उद्यानों, नगर भवनों (टाऊन हाल), स्मारकों तथा इनसे संबद्ध संस्थाओं, संग्रहालयों, सार्वजनिक प्रसाधनों (टायलेट), शासन अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों तथा सुलभ शौचालयों को लागू होगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

उपभोक्ता श्रेणी/प्रयोज्यता का क्षेत्र	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये/ किलोवाट)	न्यूनतम प्रभार (रू)
एलवी 3.1 सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य (Public Water Works)			**कोई न्यूनतम प्रभार लागू न होंगे**
नगरपालिक निगम/छावनी (केन्टोनमेंट) बोर्ड	520	240	
नगरपालिका/नगर पंचायत	500	230	
ग्राम पंचायत	490	100	
अस्थाई विद्युत प्रदाय	प्रयोज्य विद्युत–दर से 1.3 गुना दर पर		
एलवी 3.2 पथ–प्रकाश (Street Light)			
नगरपालिक निगम/छावनी (केन्टोनमेंट) बोर्ड	520	350	**कोई न्यूनतम प्रभार लागू न होंगे**
नगरपालिका/नगर पंचायत	500	320	
ग्राम पंचायत	490	100	

एलवी–3 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्ते

(क) **मांग–परक प्रबन्धन (Demand Side Management) अपनाए जाने पर प्रोत्साहनः** ऊर्जा बचत उपकरणों [जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] की स्थापना तथा उपयोग किये जाने पर उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों के 5% के बराबर दर से **प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका अनुपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को उपयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक जारी रखा जाएगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हों। अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था भी करनी होगी।

(ख) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———

विद्युत–दर टैरिफ अनुसूची एलवी – 4

निम्नदाब औद्योगिक (LT Industrial) :

प्रयोज्यता :

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुक्रमांक **एलवी–4** प्रिंटिंग प्रेस अथवा अन्य कोई औद्योगिक स्थापनाओं तथा कर्मशालाओं {जहां कोई प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) अथवा विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) कार्य, टायर–रीट्रिडिंग को सम्मिलित कर सम्पन्न किया जा रहा हो} के लिए बत्ती, पंखा या उपकरणों के परिचालन हेतु पावर के लिये लागू होगा। ये विद्युत–दरें (टैरिफ) शीतागार (कोल्ड स्टोरेज), गुड़ (जैगरी) तैयार करने वाली मशीनों, आटा चक्कियों (फ्लोर मिल्स), मसाला चक्कियों, हलर, खाण्डसारी इकाईयों, ओटाई (गिन्निंग) तथा प्रेसिंग इकाईयों, गन्ना पिराई (गन्ने का रस निकालने वाली मशीनों को सम्मिलित करते हुए) विद्युत–करघों (पावरलूम), दाल मिलों, बेसन मिलों तथा बर्फखानों (आईस–फैक्टरी) तथा अन्य कोई विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) अथवा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) इकाईयों (बॉटलिंग संयत्रों को छोड़कर) खाद्य वस्तुओं का उत्पादन/प्रसंस्करण अथवा कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, उनके संरक्षण/उनके शेल्फ उपयोगी जीवनकाल (shelf life) में अभिवृद्धि हेतु तथा डेरी इकाईयों [जहां दूध का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चुरीकरण प्रक्रिया आदि को छोड़कर किया जाता है जिससे अन्य दुग्ध उत्पादों का उत्पादन हो सके] हेतु भी लागू होंगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	
4.1 गैर–मौसमी उपभोक्ता (Non Seasonal Consumers)				
4.1 क	मांग–आधारित विद्युत–दर* (Demand based tariff) (150 अश्वशक्ति /112 किलोवाट तक संविदा मांग हेतु)	285 प्रति किलोवाट अथवा 228 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	180 प्रति किलोवाट अथवा 144 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	630
4.1 ख	अस्थाई संयोजन	प्रयोज्य विद्युत–दर का 1.3 गुना		

***ऐसे उपभोक्ताओं के प्रकरण में जिनकी संविदा मांग 20 अश्वशक्ति (HP) तक हो, वहां ऊर्जा प्रभारों तथा स्थाई प्रभारों की बिलिंग उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई विद्युत–दर (टैरिफ) श्रेणी 4.1 क हेतु प्रभारों से 30 प्रतिशत कम दर पर की जाएगी।**

4.2 **मौसमी उपभोक्ता** (seasonal consumers) (मौसम की अवधि एक वित्तीय वर्ष में निरंतर 180 दिवस से अधिक की न होगी)। यदि घोषित मौसम अथवा मौसम–बाह्य (ऑफ सीजन) का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत अवस्थित हो तो ऐसी दशा में प्रयोज्य विद्युत–दर तत्संबंधी अवधि हेतु लागू होगी।				
4.2 क	**मौसम (Season) के दौरान**	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)
4.2 ख	**मौसम–बाह्य (ऑफ–सीजन) के दौरान**	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनमें से जो भी अधिक हो	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनमें से जो भी अधिक हो	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर का 120 प्रतिशत

निबंधन तथा शर्तें

(क) उपभोक्ता की प्रतिमाह अधिकतम मांग, उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह में निरंतर पन्द्रह मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई चार गुना अधिकतम किलोवाट एम्पीयर आवर्स की मात्रा के बराबर मानी जाएगी।

(ख) समस्त निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु मांग आधारित विद्युत–दर (Demand Based Tariff) की प्रयोज्यता अनिवार्य है तथा अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को टाईवेक्टर/बाईवेक्टर मीटर जो मांग को किलोवोल्ट एम्पीयर/किलोवाट, किलोवाट ऑवर, किलोवोल्ट एम्पीयर ऑवर तथा उपयोग के समय विद्युत खपत (टाईम ऑफ यूज कंसम्पशन) को अभिलिखित किये जाने हेतु सक्षम हो, प्रदान करेंगे।

(ग) **न्यूनतम खपत** : निम्नानुसार मानी जाएगी :

i. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत न भी की गई हो।

ii. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) 360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत न भी की गई हो।

iii. ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपरोक्त निर्दिष्ट की गई यूनिटों की संख्या से कम हो, वहां उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 15 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी।

iv. न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

(घ) **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार** : इस मद हेतु बिलिंग निम्न दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शायेनुसार की जाएगी।

(ङ) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(च) **मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें :**

i. उपभोक्ता को चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु मौसम के तथा मौसम–बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने, विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश जारी होने के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा। यदि उपभोक्ता द्वारा इस टैरिफ आदेश के जारी होने से पूर्व चालू वित्तीय वर्ष के लिये मौसम तथा मौसम–बाह्य महीनों की अवधि अनुज्ञप्तिधारी को सूचित की जा चुकी हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे संज्ञान में लिया जाएगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाएगा।

ii. उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

iii. यह विद्युत–दर उन सम्मिश्रित इकाईयों (composite units) को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी के भार विद्यमान हैं।

iv. उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को, पिछले तीन मौसमों के दौरान औसत मासिक खपत के अधिकतम 15 प्रतिशत तक सीमित रखना होगा। यदि इस सीमा का किसी मौसम–बाह्य माह के दौरान उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु प्रभावशील गैर–मौसमी (non-seasonal) विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्तर्गत की जाएगी।

v. उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग संविदा मांग के 31.5% (संविदा मांग के 30% का 105%) से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु प्रभावशील गैर–मौसमी (non-seasonal) विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्तर्गत की जाएगी।

————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–5

कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां (Agriculture and Allied Activities) :

प्रयोज्यता :

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुक्रमांक **एलवी–5.1** कृषि संबंधी पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों (chaff cutters), थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों (Winnowing machines), बीजारोपण मशीनों (Seeding machines), उद्‌वहन सिंचाई (Lift Irrigation) योजनाओं हेतु सिंचाई पंपों मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा उद्‌वहन जल के संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुक्रमांक **एलवी–5.2** रोपणियों (नर्सरी), फूल/पौधे/पौध (सैपलिंग)/फल, कुकुरमुत्ता (mushroom) उगाने वाले कृषि क्षेत्रों (farms) तथा चरागाहों (grasslands) हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुक्रमांक **एलवी–5.3** मत्स्य तालाबों, एक्वाकल्चर (aquaculture), रेशम उद्योग (sericulture), अण्डा सेने के स्थलों (हैचरी), कुक्कुट पालन केन्द्रों (poultry farms), पशु–प्रजनन केन्द्रों (cattle breeding farms) तथा केवल उन्हीं डेरी इकाईयों हेतु, जहां केवल दूध निकालने तथा इसका प्रसंस्करण करने, जैसे कि शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण, आदि का कार्य किया जाता है, हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुक्रमांक **एलवी–5.4** कृषि संबंधी स्थाई पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों (chaff cutters), थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों (Winnowing machines), बीजारोपण मशीनों (seeding machines) तथा उद्‌वहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंपों मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा उद्‌वहन जल के संयोजनों पर प्रयोज्य होगा जिन्हें एक–मुश्त (flat rate) विद्युत–दर लागू होती है।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति अश्वशक्ति में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट में)
एलवी–5.1			
क)(i)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	35	430
(ii)	माह के अन्तर्गत 300 यूनिट से अधिक तथा 750 यूनिट तक	45	515
(iii)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु	45	545

ख)	अस्थाई संयोजन	45	559
ग)	वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत समूह उपभोक्ताओं हेतु	कुछ नहीं	390
एलवी–5.2			
क) (i)	प्रथम 300 यूनिट प्रति माह	35	430
(ii)	माह के अंतर्गत, 300 यूनिट से अधिक तथा 750 यूनिट तक	45	515
(iii)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु	45	545
ख)	अस्थाई संयोजन	45	559
सरल क्रमांक	**उप–श्रेणी**	**मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)**	**ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट में)**
एलवी–5.3			
क)	शहरी क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	90 प्रति अश्वशक्ति	490
ख)	ग्रामीण क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	70 प्रति अश्वशक्ति	470
ग)	शहरी क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत–दर (Demand based Tariff) (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	230 प्रति किलोवाट अथवा 184 / केवीए, बिलिंग मांग पर	580
घ)	ग्रामीण क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत–दर (Demand based Tariff) (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	110 प्रति किलोवाट अथवा 88 / केवीए बिलिंग मांग पर	580

सरल क्रमांक	कृषि एक–मुश्त विद्युत–दर, सहायतानुदान को छोड़कर*	माह अप्रैल से सितम्बर तक (छः माह की अवधि हेतु) उपभोक्ता द्वारा देय प्रभार (रूपये प्रति अश्वशक्ति में)	माह अक्टूबर से मार्च (छः माह की अवधि हेतु) हेतु उपभोक्ता द्वारा देय प्रभार (रूपये प्रति अश्वशक्ति में)
एलवी–5.4			
क)	तीन फेज–शहरी	700	700
ख)	तीन फेज–ग्रामीण	700	700
ग)	एकल फेज–शहरी	700	700
घ)	एकल फेज–ग्रामीण	700	700

* देखें निबन्धन तथा शर्तों का पैरा 1.2

निबन्धन तथा शर्तें

1.1 **टैरिफ अनुसूची 5.1 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग (Billing of Consumers under Tariff Schedule LV5.1)** : टैरिफ अनुसूची एलवी 5.1 के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये उपभोक्ताओं की बिलिंग मासिक आधार पर मापयन्त्र (मीटर) में अभिलिखित खपत के आधार पर की जाएगी। इस अनुसूची के अंतर्गत

अमीटरीकृत अस्थाई संयोजन की बिलिंग खपत के आकलन के आधार पर इसी अनुसूची की शर्त क्रमांक 1.3 (iii) के अंतर्गत की जाएगी।

1.2 **टैरिफ अनुसूची 5.4 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग (Billing of Consumers under Tariff Schedule LV5.4)** : टैरिफ अनुसूची एलवी 5.4 के अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा देय दरें राज्यानुदान (Subsidy) को छोड़कर हैं। टैरिफ अनुसूची एलवी 5.4 के अन्तर्गत सम्मिलित उपभोक्ता हेतु देयक की गणना टैरिफ अनुसूची एलवी 5.1 में निर्दिष्ट की गई दरों पर इस अनुसूची की शर्त 1.3 के अन्तर्गत प्रति अश्वशक्ति (H.P.) यूनिटों के आकलन के मापदण्डों के आधार पर की जाएगी। उपभोक्ता को टैरिफ अनुसूची एलवी 5.4 के अन्तर्गत निर्दिष्ट दरों पर भुगतान करना होगा तथा देयक की अवशेष राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग, मप्रशासन के पत्र क्रमांक 1946/R-448/2017/13 दिनांक 24–3–2017 के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अग्रिम राज्यानुदान (advance subsidy) के रूप में किया जाएगा।

1.3 **श्रेणियों एलवी 5.1 तथा एलवी 5.4 हेतु ऊर्जा अंकेक्षण तथा लेखांकन का आधार :**

(i) ऊर्जा के अंकेक्षण तथा लेखांकन के प्रयोजन से विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची एलवी 5.1 तथा एलवी 5.4 के अन्तर्गत आच्छादित मीटरीकृत उपभोक्ताओं की वास्तविक बिल की गई खपत को ही मान्य किया जाएगा।

(ii) श्रेणी एलवी 5.4 के अन्तर्गत एक मुश्त दर पर अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युत खपत का आकलन निम्न मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा :

विवरण	**स्वीकृत भार प्रति माह पर आधारित प्रति अश्वशक्ति यूनिट संख्या**			
	शहरी क्षेत्र		**ग्रामीण क्षेत्र**	
मोटर पम्प का प्रकार	**अप्रैल से सितम्बर तक**	**अक्टूबर से मार्च तक**	**अप्रैल से सितम्बर**	**अक्टूबर से मार्च**
तीन फेज	90	**170**	**80**	**170**
एकल फेज	90	**180**	**90**	**180**

(iii) श्रेणी एलवी–5.1 के अन्तर्गत अमीटरीकृत अस्थाई कृषि उपभोक्ताओं हेतु आकलित विद्युत खपत का आकलन निम्न मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा :

विवरण	**स्वीकृत भार प्रति माह पर आधारित प्रति अश्वशक्ति यूनिट संख्या**	
मोटर पम्प का प्रकार	**शहरी क्षेत्र**	**ग्रामीण क्षेत्र**
तीन फेज	**220**	**195**
एकल फेज	**230**	**205**

1.4 अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ताओं को तीन माह के अग्रिम प्रभारों का भुगतान करना होगा तथा इनमें वे उपभोक्ता भी शामिल होंगे जो केवल एक माह हेतु संयोजन का लाभ लेने हेतु अनुरोध करते हैं, यह प्रावधान बढ़ाई गई अवधि हेतु समय–समय पर की गई संपूर्ति (Replenishment) तथा संयोजन विच्छेद उपरान्त अन्तिम देयक के अनुसार समायोजन के अध्यधीन होगा। फसलों की थ्रेशिंग के प्रयोजन से अस्थाई संयोजन के संबंध में केवल रबी तथा खरीफ मौसम के अन्त में एक माह की अवधि हेतु अस्थाई संयोजन एक माह के प्रभारों के अग्रिम भुगतान द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

1.5 मीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किये जाने पर निम्न **प्रोत्साहन*** प्रदान किये जाएंगे :

सरल क्रमांक	**ऊर्जा बचत उपकरणों का विवरण**	**टैरिफ में छूट (रिबेट) की दर**
1	पंप सेट्स हेतु जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. सितारा चिन्हित (Star-labeled) मोटरों से संयोजित हैं	15 पैसे प्रति यूनिट
2	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. सितारा चिन्हित मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षणरहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्व के उपयोग हेतु	30 पैसे प्रति यूनिट
3	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. सितारा चिन्हित मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षणरहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्ब का उपयोग किये जाने पर मय उपयुक्त क्षमता (रेटिंग) के शंट कैपेसिटर की संस्थापना किये जाने पर	45 पैसे प्रति यूनिट

*मांग परक प्रबंधन के अंतर्गत, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर {पूर्ण विद्युत–दर (टैरिफ) में से शासकीय अनुदान प्रति यूनिट घटा कर, यदि यह देय हो} उपभोक्ता के अंशदान भाग पर ही अनुज्ञेय किया जाएगा। यह प्रोत्साहन केवल उसी दशा में अनुज्ञेय होगा जब पूर्ण बिल की राशि का भुगतान निर्धारित तिथियों के भीतर कर दिया जाए जिसका अनुपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों को सामान्य दर पर प्रभारित किया जाएगा। प्रोत्साहन स्थापना के माह के उपरान्त ही वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही अनुज्ञेय होगा। वितरण अनुज्ञिप्तधारी को ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था हेतु वृहद् रूप से इसका प्रचार–प्रसार करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक सूचना अपने वैबस्थल (website) पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

1.6 **न्यूनतम खपत :**

(i) **मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं हेतु (एलवी–5.1 तथा एल.वी–5.2)** : इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को माह अप्रैल से सितम्बर तक संयोजित भार की 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश की प्रतिमाह की न्यूनतम खपत तथा माह अक्टूबर से मार्च तक संयोजित भार की 90 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश की प्रतिमाह न्यूनतम खपत प्रत्याभूत (गारंटी) करनी होगी, भले ही उपभोक्ता द्वारा माह के दौरान ऊर्जा की खपत की जाए या फिर न भी की जाए।

(ii) कृषि संबंधी अन्य प्रयोग हेतु (एलवी–5.3) :

(क) उपभोक्ता को अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में संविदा मांग के 180 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर तथा शहरी क्षेत्रों में संविदा मांग के 360 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) प्रत्याभूत करनी होगी, भले ही उसके द्वारा वर्ष के दौरान ऊर्जा की खपत की जाए या फिर न भी की जाए।

(ख) यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) से कम है तो उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 15 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी।

(ग) **न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग** निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में दर्शायेनुसार की जाएगी।

1.7 **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार** : इसकी बिलिंग निम्न दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

1.8 **विलम्बित भुगतान अधिभार (Delayed Payment Surcharge)** : श्रेणी एलवी 5.4 के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं के प्रकरण में विलम्बित भुगतान अधिभार प्रति खण्ड (ब्लाक) अथवा उसके किसी अंश के लिये रू. 100/– की बकाया राशि पर रू. 1/– प्रति माह की एक–मुश्त विद्युत–दर (टैरिफ) पर अधिरोपित किया जाएगा। इस विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची की अन्य उपश्रेणियों हेतु विलम्बित भुगतान अधिभार की बिलिंग निम्न दाब विद्युत–दर की सामान्य निबन्धन तथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार की जाएगी।

1.9 **विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर (DTR) मीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु विशिष्ट शर्ते :**

क. विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर (DTR) से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक संयोजित भार पर की गई यूनिटों की गणना के अनुसार ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करना होगा।

ख. विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे संयोजित उपभोक्ताओं से बिलिंग हेतु उपरोक्त (क) में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार सहमति प्राप्त की जाएगी।

1.10 पावर सर्किट से पंप पर या उस के समीप एक 20 वॉट का सीएफएल/ एलईडी लैम्प लगाने की अनुमति होगी।

1.11 जब विद्युत प्रदाय एकल फेज पर उपलब्ध हो तो बाह्य उपकरण की स्थापना के माध्यम से तीन–फेज कृषि पंप के उपयोग को ऐसी अवधि के दौरान विद्युत का अवैध निष्कर्षण (extraction) माना जाएगा तथा ऐसा किये जाने पर चूककर्ता उपभोक्ता के विरूद्ध विद्यमान नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

1.12 अन्य निबंधन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

निम्न दाब विद्युत–दर की सामान्य निबंधन तथा शर्तें (General Terms and Conditions of Low Tension Tariff)

1. **ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas)** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ 13/05/13/2006 दिनांक 25 मार्च, 2006 द्वारा अधिसूचित किये गये समस्त क्षेत्र जैसा कि इन्हें समय–समय पर संशोधित किया जाए। **शहरी क्षेत्रों (Urban Areas)** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किये गये क्षेत्रों के अतिरिक्त समस्त अन्य क्षेत्र।

2. **पूर्णांक करना (Rounding off)** : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की जाएगी तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

3. **बिलिंग मांग (Billing demand)** : मांग आधारित टैरिफ के प्रकरण में, माह हेतु बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात् 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (Fraction) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (Ignored) माना जाएगा।

4. **स्थाई प्रभारों की बिलिंग (Fixed charges billing)** – जब तक विशिष्ट तौर पर निर्दिष्ट न किया जाए, स्थाई प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, आंशिक भार (Fractional load) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा अर्थात् 0.5 या इससे अधिक की भिन्न को उच्चतर अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न की उपेक्षा की जाएगी। तथापि, एक किलोवाट/अश्वशक्ति से कम के भारों को एक किलोवाट/अश्वशक्ति ही माना जाएगा।

5. **न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि (Method of Billing of Minimum Consumption)** –

   (क) **मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग उद्यानिकी (Horticulture) हेतु श्रेणी एलवी 5.1 तथा 5.2 :** उपभोक्ता की बिलिंग न्यूनतम मासिक खपत (किलोवाट ऑवर में) हेतु जो उस श्रेणी हेतु उक्त माह के लिये निर्दिष्ट की गई है, जिसके अन्तर्गत उसकी वास्तविक खपत विनिर्दिष्ट न्यूनतम खपत से कम हो, के अनुसार की जाएगी।

(ख) अन्य उपभोक्ताओं हेतु, जहां यह प्रयोज्य है :

(अ) यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपरोक्त उल्लेखित की गई खपत से कम हो तो उसकी बिलिंग प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम (किलोवाट ऑवर में) जो उसकी श्रेणी हेतु प्रति माह विनिर्दिष्ट की गई है, के बारहवें (1/12) भाग पर की जाएगी।

(ब) उक्त माह, जिसमें वास्तविक संचित खपत (cumulative consumption) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत के बराबर हो जाती है अथवा इससे अधिक हो जाती है तो वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में न्यूनतम मासिक खपत हेतु और आगे बिलिंग नहीं की जाएगी तथा केवल वास्तविक अभिलिखित खपत की बिलिंग ही की जाएगी।

(स) विद्युत–दर (टैरिफ) न्यूनतम खपत को उक्त माह में समायोजित किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी वास्तविक अथवा बिल की गई मासिक खपत उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, आनुपातिक वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती है तथा यदि वास्तविक संचयी खपत उक्त माह में पूर्णतया समायोजित नहीं हो पाती है तो समायोजन को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलोवाट ऑवर (KWh) वार्षिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट ऑवर (kWh) हो :

माह	**वास्तविक संचयी खपत (kWh)**	**संचयी न्यूनतम खपत (kWh)**	**2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो (kWh)**	**वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत (kWh)**	**यूनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4–5) (kWh)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

6. **आधिक्य संयोजित भार अथवा आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge for Excess connected load or Excess Demand) :** इसकी बिलिंग निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी :

क) **मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु (For demand based tariff)** मांग आधारित विद्युत–दर पर विद्युत की प्राप्ति करने वाले उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक उच्चतम मांग, संविदा मांग (Contract Demand) के अंतर्गत सीमित रखनी होगी। तथापि, यदि किसी माह के दौरान वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से 115 प्रतिशत अधिक हो जाती है, तो उक्त माह के दौरान इस अनुसूची के अन्तर्गत विद्युत–दर संविदा मांग के 115 प्रतिशत तक की सीमा हेतु ही लागू होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को संविदा मांग से 115 प्रतिशत अधिक के अध्यधीन (जिसे आधिक्य मांग कहा गया है) अभिलिखित मांग हेतु तथा तत्संबंधी खपत हेतु निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा :–

i. **आधिक्य भार हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy Charges for Excess Load)** : आधिक्य मांग अथवा आधिक्य संयोजित भार के कारण ऊर्जा प्रभारों पर कोई अतिरिक्त प्रभार लागू न होंगे।

ii. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार (Fixed Charges for Excess Demand)** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 130 प्रतिशत तक हो (Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 130% of the contract demand)** :– संविदा मांग से 115 प्रतिशत से अधिक आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 115 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 130 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 130% of the contract demand)** :– उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 30 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

ख) **संयोजित भार आधारित विद्युत–दर हेतु (For connected load based Tariff) :**

संयोजित भार आधारित विद्युत–दर पर विद्युत की प्राप्ति करने वाले उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक संयोजित मांग, स्वीकृत भार (sanctioned load) के अंतर्गत सीमित रखनी होगी। तथापि, यदि किसी माह के दौरान वास्तविक संयोजित मांग, स्वीकृत मांग से 115 प्रतिशत अधिक हो जाती है, तो उक्त माह के दौरान इस अनुसूची के अन्तर्गत विद्युत–दर स्वीकृत मांग के 115 प्रतिशत तक की सीमा हेतु ही लागू होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को स्वीकृत मांग से 115 प्रतिशत अधिक के अध्यधीन (जिसे आधिक्य भार कहा गया है) पाये गये संयोजित भार हेतु तथा तत्संबंधी खपत हेतु निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा :–

i. **आधिक्य भार हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy Charges for Excess load)** : आधिक्य मांग अथवा आधिक्य संयोजित भार के कारण ऊर्जा प्रभारों पर कोई अतिरिक्त प्रभार लागू न होंगे।

ii. **आधिक्य भार हेतु स्थाई प्रभार (Fixed Charges for Excess Load)** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी : उक्त अवधि के लिये जब आधिक्य भार को उपरोक्त शर्त (i) के अन्तर्गत अवधारित किया जाता हो :

1. **आधिक्य भार हेतु स्थाई प्रभार जब संयोजित भार, स्वीकृत भार का 130 प्रतिशत तक पाया जाए (Fixed Charges for Excess Load when the connected load is found up to 130% of the sanctioned load)**:– स्वीकृत भार से 115% प्रतिशत से अधिक हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य भार हेतु स्थाई प्रभार जब संयोजित भार, स्वीकृत भार का 130 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed Charges for Excess Load when the connected load exceeds 130% of the sanctioned load)**:– उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, स्वीकृत भार से 30 प्रतिशत से अधिक पाये गये संयोजित भार हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

ग) उपभोक्ताओं को प्रयोज्य आधिक्य मांग हेतु उपरोक्त बिलिंग, बिना किसी पक्षपात के वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अनुबन्ध के पुनरीक्षण हेतु उसके द्वारा अनुरोध किये जाने के अधिकारों तथा अन्य अधिकार, जो आयोग द्वारा विनियमों के अन्तर्गत या अन्य किसी विधि के अर्न्तगत अधिसूचित किये गये हों, प्रयोज्य होंगी।

प्रत्येक माह के दौरान, किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग (Maximum Demand) की गणना उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह के दौरान निरन्तर 15 मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई किलोवाट एम्पीअर आवर्स की उच्चतम मात्रा के चार गुना के रूप में की जाएगी।

7. प्रोत्साहन/छूट (Incentives/Rebates) :–

(क) अग्रिम भुगतान हेतु छूट (Rebate on Advance Payment) : खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी **अग्रिम भुगतान** की राशि जिसके लिए देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह की छूट उक्त राशि {प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) राशि को छोड़कर} पर, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती हो, उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उसके खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।

(ख) त्वरित भुगतान हेतु प्रोत्साहन (Prompt Payment Incentive) : जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रू. 1 लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में देयक राशि {बकाया राशि (Arrears), प्रतिभूति निक्षेप (Security deposit), मापयंत्र भाड़ा (meter rent) तथा शासकीय उद्ग्रहण (Government levies), अर्थात् विद्युत शुल्क (Electricity Duty) तथा उपकर (cess) को छोड़कर} के तत्पर भुगतान पर 0.25% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी।

(ग) **ऑनलाईन देयक भुगतान हेतु छूट (Rebate for online bill Payment) :** देयक का ऑनलाईन व्यवस्था द्वारा भुगतान किये जाने पर कुल देयक राशि पर 0.5 प्रतिशत की छूट अधिकतम राशि रूपये 20 तथा न्यूनतम राशि रूपये 5 के अध्यधीन लागू होगी।

(घ) **भार कारक प्रोत्साहन (Load Factor Incentive) :** मांग आधारित टैरिफ (demand based tariff) के अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन के निम्न खण्ड (स्लैब) अनुज्ञेय होंगे :

भार–कारक (लोड फेक्टर)	ऊर्जा प्रभारों में रियायत (कन्सेशन)
संविदा मांग पर 25 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक के भार–कारक (लोड फेक्टर) पर	बिलिंग माह के दौरान, 25 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 12 पैसे प्रति यूनिट की रियायत (कन्सेशन) देय होगी
संविदा मांग पर 30 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत तक के भार कारक पर	30 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 30 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रियायत (कन्सेशन) देय होगी
संविदा मांग पर 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर	40 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 36 पैसे प्रति यूनिट की रियायत (कन्सेशन) देय होगी

भार कारक (लोड फेक्टर) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मसिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग ऊर्जा कारक}}$$

i. माह के दौरान मासिक खपत, उपभोग की गई यूनिटों (kWh) के अनुसार होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के अलावा बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिटों की संख्या को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

ii. बिलिंग माह के अन्तर्गत निर्धारित घंटों की संख्या में विद्युत अवरोध (Scheduled Outages) घंटों की संख्या शामिल न होगी।

iii. मांग, अभिलिखित की गई अधिकतम मांग अथवा संविदा मांग इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) (%) प्रतिशत को निकटतम संख्या (Integer) तक पूर्णांक किया जाएगा। बिलिंग माह, मीटर वाचन की दो क्रमिक (consecutive) तिथियों की दिवस संख्या में वह अवधि होगी जो उपभोक्ता हेतु, बिलिंग के प्रयोजन से एक माह के रुप में विचाराधीन हो।

(ङ) **ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन :** यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक हो तो प्रोत्साहन निम्नानुसार भुगतानयोग्य होगा :

भार कारक (पावर फैक्टर)	**बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर भुगतानयोग्य प्रोत्साहन प्रतिशत**
85 प्रतिशत से अधिक तथा 86 प्रतिशत तक	0.5
86 प्रतिशत से अधिक तथा 87 प्रतिशत तक	1.0
87 प्रतिशत से अधिक तथा 88 प्रतिशत तक	1.5
88 प्रतिशत से अधिक तथा 89 प्रतिशत तक	2.0
89 प्रतिशत से अधिक तथा 90 प्रतिशत तक	2.5
90 प्रतिशत से अधिक तथा 91 प्रतिशत तक	3.0
91 प्रतिशत से अधिक तथा 92 प्रतिशत तक	3.5
92 प्रतिशत से अधिक तथा 93 प्रतिशत तक	4.0
93 प्रतिशत से अधिक तथा 94 प्रतिशत तक	4.5
94 प्रतिशत से अधिक तथा 95 प्रतिशत तक	5.0
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	6.0
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	7.0
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	8.0
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	9.0
99 प्रतिशत से अधिक	10.0

इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान 'कुल किलोवाट ऑवर्स' तथा 'कुल किलोवोल्ट एम्पीयर ऑवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है।

8. अन्य निबन्धन तथा शर्तें (Other Terms and Conditions)

(क) स्वीकृत भार/संयोजित भार/संविदा मांग 112 किलोवाट/150 अश्वशक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए सिवाय जहां इस हेतु उच्चतम सीमा निर्दिष्ट की गई हो या फिर उक्त श्रेणी में संयोजित भार की कोई उच्चतम सीमा निर्दिष्ट से छूट प्रदान की गई हो। यदि उपभोक्ता उसके संयोजित भार/संविदा मांग की इस उच्चतम सीमा का उल्लंघन टैरिफ अवधि के अन्तर्गत दो बिलिंग माह में दो अवसरों से अधिक बार करता हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उच्चदाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने बाबत आग्रह कर सकेगा।

(ख) मापन प्रभारों (metering charges) की बिलिंग मीटरिंग तथा अन्य प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। बिलिंग के प्रयोजन से माह के किसी भाग को पूर्ण माह माना जाएगा।

(ग) ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (चेक) को अस्वीकृत/अनादृत (dishonour) कर दिया गया हो, वहां नियमों के अनुसार, बिना किसी पक्षपात अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार के कोई कार्यवाही किये जाने हेतु, जैसा कि वह सुसंगत विधि के अन्तर्गत उपलब्ध हो, 200 रूपये प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा।

(घ) अन्य प्रभार, जैसा कि इनका उल्लेख विविध प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, भी अतिरिक्त रूप से लागू होंगे।

(ङ) **वेल्डिंग अधिभार (Welding Surcharge)** वेल्डिंग ट्रांसफार्मरयुक्त स्थापनाओं के साथ प्रयोज्य होगा, जहां वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का भार कुल संयोजित भार से 25 प्रतिशत अधिक हो तथा जहां निर्दिष्ट क्षमता के उपयुक्त संधारित्र (कैपेसिटर) स्थापित न किये गये हों जिससे ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) न्यूनतम 0.8 (80%) पश्चवर्ती (लैगिंग) को सुनिश्चित किया जा सके। माह के दौरान सम्पूर्ण स्थापना हेतु वेल्डिंग अधिभार, 75 (पिचहत्तर) पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया जाएगा। तथापि, ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) 0.8 या इससे अधिक अभिलिखित किये जाने पर कोई वेल्डिंग प्रभार अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(च) वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों को संयोजित भार को किलोवॉट में गणना किये जाने के प्रयोजन से ऐसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का 0.6 (60%) का भार–कारक (पावर फेक्टर) उच्चतम विद्युत–धारा (करंट) अथवा केवीए मूल्यांकन (रेटिंग) पर प्रयोज्य होगा।

(छ) वर्तमान निम्नदाब उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा उचित क्षमता (रेटिंग) के निम्नदाब संधारित्र (कैपेसिटर) की व्यवस्था कर दी गई है। इस संबंध में, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 जैसा इसे समय–समय पर संशोधित किया गया है, का अवलोकन मार्गदर्शन प्राप्ति हेतु किया जा सकता है। उपभोक्ता द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व होगा कि किसी एक माह के दौरान समग्र रूप से औसत भार–कारक (पावर फेक्टर) 0.8 (80%) से कम न रहे। उपरोक्त मानदण्ड प्राप्त न किये जाने पर, उपभोक्ता को माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों के विरूद्ध निम्न दरों के अनुसार निम्न भार–कारक (लो पावर फेक्टर) अधिभार का भुगतान करना होगा :

1. **ऐसे निम्नदाब उपभोक्ता के लिये, जिसका मापयंत्र (मीटर) औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) अभिलेखन हेतु सक्षम है :**

   क. 80% से नीचे 75% तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1% गिरावट के लिये, ऊर्जा प्रभारों पर 1% की दर से अधिभार।

   ख.. 75% से नीचे 70% तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1% गिरावट के लिये ऊर्जा प्रभारों पर 5% + 1.25% की दर से अधिभार।

अधिभार की अधिकतम सीमा माह के दौरान बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों के 10% राशि तक सीमित होगी।

2. **ऐसे निम्नदाब उपभोक्ता के लिये, जिसका मापयन्त्र (मीटर) औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) अभिलेखन हेतु सक्षम नहीं है** : उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उचित क्षमता के निम्नदाब संधारित्र (कैपेसिटर) स्थापित की व्यवस्था करे तथा इसे सही हालत में संचालित रखे। इस संबंध में, मार्गदर्शन प्राप्ति हेतु मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया गया है, का अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त मानदण्डों का परिपालन न किये की दशा में, उपभोक्ता पर माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों के विरूद्ध बिल की गई सम्पूर्ण राशि पर 10% की दर से निम्न ऊर्जा कारक (Low Power Factor) अधिभार अधिरोपित किया जाएगा तथा इसे ऐसी अवधि तक निरन्तर जारी रखा जाएगा जब तक उपभोक्ता उपरोक्त मानदण्डों की प्राप्ति नहीं कर लेता।

(ज) यदि उपभोक्ता द्वारा भार–कारक (पावर फेक्टर) में सुधार किये जाने के संबंध में उचित शंट संधारित्रों (कैपेसिटरों) की स्थापना द्वारा उचित कदम नहीं उठाये जाते हैं तो उपरोक्तानुसार दर्शाये गये वेल्डिंग/भार–कारक (पावर फेक्टर) सरचार्ज, अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात, उपभोक्ता की स्थापना के संयोजन के वियोजन (विच्छेदन) (डिसकनेक्ट) किये जाने के अधिकारों के अध्यधीन होंगे।

(झ) किसी विशिष्ट निम्न दाब श्रेणी पर विद्युत–दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद होने की दशा में आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(ञ) विद्युत–दर (टैरिफ) में विद्युत ऊर्जा पर कर (Tax), उपकर (Cess) अथवा अभिकर (duty), आदि सम्मिलित नहीं होते जो कि तत्समय प्रचलित किसी विधि के अनुसार किसी भी समय देय हो सकते हैं। ऐसे प्रभार, यदि लागू हों तो उपभोक्ता द्वारा इनका भुगतान विद्युत–दर (टैरिफ) प्रभारों तथा प्रयोज्य विविध प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

(ट) **समस्त श्रेणियों हेतु विलम्बित भार अधिभार** : यदि देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता हो तो बकाया (outstanding) राशि पर पूर्व की अवशेष राशि (Arrears) सम्मिलित कर, पर 1.25% प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश अनुसार, की दर से अधिभार की राशि का भुगतान करना होगा जो कुल बकाया देयक की राशि रू. 500/– तक न्यूनतम रू. 5/–प्रति माह तथा देयक की राशि के रू. 500/– से अधिक होने पर रू. 10/– प्रति माह के अध्यधीन होगा। विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन से, माह के किसी अंश को पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय संयोजन स्थाई तौर पर विच्छेद किये जाने के उपरान्त विलंबित भुगतान अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान ऐसी श्रेणी के लिये लागू न होगा जहां विलंबित भुगतान अधिभार अधिरोपित किये जाने का प्रावधान पृथक से निर्दिष्ट किया गया है।

(ठ) निम्नदाब संयोजन को उच्चदाब संयोजन में परिवर्तन किये जाने की दशा में, उपभोक्ता द्वारा उच्च दाब विद्युत प्रदाय की सुविधा का लाभ उठाने से पूर्व दोनों उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उच्चदाब अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य (mandatory) होगा।

(ड) एक ही संयोजन से मिश्रित भारों का उपयोग : जब तक किसी विद्युत–दर (टैरिफ) श्रेणी में विशिष्ट रूप से अनुज्ञेय न किया जाए, विभिन्न प्रयोजनों हेतु मिश्रित भारों हेतु अनुरोध करने वाले उपभोक्ता को उक्त प्रयोजन हेतु विद्युत–दर की बिलिंग की जाएगी, जो इनमें से उच्चतर है।

(ढ़) अधिसूचित औद्योगिक विकास केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्रों/आद्योगिक पार्कों में शहरी नियमावली (discipline) के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर शहरी विद्युत बिलिंग व्यवस्था लागू होगी।

(ण) विद्युत/मिश्रित वाहनों हेतु उपयोग की जा रही बैट्रियों की प्रभारण (चार्जिंग) सुविधाओं की बिलिंग तत्संबंधी विद्युत–दर (टैरिफ) श्रेणियों के अनुसार जहां वे अवस्थित हों, के अन्तर्गत की जाएगी। आवासीय परिसरों में ऐसी बैट्रियों का प्रभारण केवल उपभोक्ता के स्वयं के वाहन हेतु अनुज्ञेय है।

(त) विद्युत–दर (टैरिफ) तथा विद्युत–दर (टैरिफ) संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की लिखित अनुमति के बिना की गई किसी कार्यवाही को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा प्रकरण में विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंगत उपबन्धों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(थ) यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही अनुबन्ध में कोई ऐसे उपबंध विद्यमान हों जो उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीतात्मक क्यों न हों।

(द) यदि इस आदेश के किसी प्रावधान को प्रभावी बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग, किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से, अनुज्ञप्तिधारियों को ऐसे कार्य करने या उनका दायित्व वहन करने हेतु निर्देशित कर सकेगा जैसा कि वे आयोग के मतानुसार कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन से अत्यावश्यक या फिर समीचीन हों।

9. निम्नदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु अतिरिक्त शर्तें (Additional conditions for Temporary Supply at LT):

(क) किसी भावी/विद्यमान उपभोक्ता द्वारा अस्थाई विद्युत आपूर्ति हेतु मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, परन्तु मांग हेतु यथोचित सूचना (नोटिस) दिये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्यतः इसकी व्यवस्था की जा सकेगी। अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को अतिरिक्त सेवा माना जाएगा तथा निम्न शर्तों के अध्यधीन इसे प्रभारित किया जाएगा। तथापि, तत्काल योजना के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी किये गये विविध प्रभारों की अनुसूची के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार सेवा 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(ख) अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की बिलिंग सामान्य टैरिफ की **1.30 गुना** की दर से, जैसा कि वह तत्संबंधी श्रेणी हेतु लागू हो, की जाएगी, यदि वह विशिष्ट रूप से अन्यथा विनिर्दिष्ट न भी की गई हो।

(ग) अस्थाई संयोजनों को सेवाकृत करने से पूर्व प्राक्कलित देयक राशि का भुगतान अग्रिम रूप से भुगतानयोग्य होगा जो समय–समय पर सम्पूर्ति (replenishment) के अध्यधीन होगा तथा संयोजन विच्छेद के उपरान्त इसे अन्तिम देयक के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इस अग्रिम भुगतान पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का ब्याज देय न होगा।

(घ) स्वीकृत भार अथवा संयोजित भार 112 किलोवाट/150 अश्वशक्ति (HP) से अधिक न होगा।

(ङ) अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, माह से अभिप्रेत है संयोजन की तिथि से तीस दिवस की अवधि। बिलिंग के प्रयोजन से तीस दिवस से कम की किसी अवधि को पूर्ण माह माना जाएगा।

(च) संयोजन एवं संयोजन विच्छेद प्रभारों तथा अन्य विविध प्रभारों का भुगतान पृथक से करना होगा जैसा कि इन्हें विविध प्रभारों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(छ) अस्थाई संयोजन की खपत पर भार–कारक रियायत (लोड–फैक्टर कन्सेशन) को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

(ज) ऊर्जा–कारक प्रोत्साहन (पावर फेक्टर इन्सेंटिव)/अर्थदण्ड (पेनाल्टी) स्थाई संयोजन के अनुरुप एक समान दर पर प्रयोज्य होंगे।

————————

परिशिष्ट–3 {उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां}
वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
द्वारा पारित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

उच्च दाब (हाई टेंशन–एचटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

अनुक्रमणिका

विद्युत–दर अनुसूचियां (Tariff Schedules)	**पृष्ठ क्रमांक**
एचवी–1 रेलवे कर्षण (HV-1 Railway Traction)	32
एचवी–2 कोयला खदानें (HV-2 Coal Mines)	35
एचवी–3 औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल (HV-3 Industrial, Non Industrial and Shopping Mall)	36
एचवी–4 मौसमी (HV-4 Seasonal)	42
एचवी–5 सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग (HV-5 Irrigation, Public Water Works and Other than agricultural)	44
एचवी–6 थोक आवासीय प्रयोक्ता (HV-6 Bulk Residential Users)	46
एचवी–7 ग्रिड से संयोजित विद्युत–उत्पादकों हेतु समकालन का प्रावधान (HV-7 Synchronization for generators connected to the Grid)	48
उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबन्धन तथा शर्ते (General Terms and Conditions of High Tension Tariff)	49

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–1

रेलवे कर्षण (Railway Traction) :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) रेलवे के केवल कर्षण (Traction) भारों हेतु ही लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रतिमाह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे / यूनिट)
1	132 केवी / 220 केवी पर रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	310	590

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

(क) राज्य में रेलवे नेटवर्क को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की दृष्टि से संयोजन तिथि से पांच वर्षो की अवधि हेतु उन्हीं नवीन रेलवे कर्षण परियोजनाओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी जिनके अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु अनुबंध वित्तीय वर्ष 2017–18[1] के दौरान अंतिम किये जाते हैं। पूर्व में जारी किये गये आदेशों में दी गई छूट उक्त विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों के अन्तर्गत उल्लेखित दर तथा अवधि हेतु जारी रहेगी।

(ख) समर्पित संभारक संधारण प्रभार (Dedicated Feeder Maintenance Charges) लागू **नहीं** होंगे।

(ग) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption) संविदा मांग की 1500 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में दर्शाये गये के अनुरूप होगी।

(घ) उपभोक्ता को सदैव अपनी वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के अंतर्गत सीमित रखना होगा। ऐसे प्रकरण में जहां किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से 115 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाती है, वहां विभिन्न अनुसूचियों में दर्शाई गई विद्युत–दरें (टैरिफ) संविदा मांग की 115 प्रतिशत अधिक की सीमा तक प्रयोज्य होंगी। उपभोक्ताओं को आधिक्य मांग हेतु प्रभारित किया जाएगा जिसकी गणना स्थाई प्रभारों पर अभिलिखित अधिकतम मांग तथा संविदा मांग के 115 प्रतिशत के अन्तर के रूप में की जाएगी तथा ऐसा करते समय विद्युत–दर (टैरिफ) की अन्य निबन्धन तथा शर्तें, यदि वे लागू हों तो वे कथित आधिक्य मांग हेतु भी लागू होंगी।

(ङ) **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy charges for excess demand)** : आधिक्य मांग अथवा अधिक संयोजित भार के कारण ऊर्जा प्रभारों पर अतिरिक्त प्रभार लागू न होंगे।

---

[1]. शुद्धि पत्र दिनांक 1.6.2017 को जारी किया गया।

(च) उपरोक्तानुसार किसी माह की गणना की गई आधिक्य मांग, यदि कोई हो, को निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा :

(क) जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 130% तक हो–115% से अधिक संविदा मांग पर–रू 341 प्रति केवीए की दर से

(ख) जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 130% से अधिक हो जाती है :– उपरोक्त दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 30% अधिक अभिलिखित मांग पर रू 465 प्रति केवीए की दर से

ऐसा करते समय, विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्य उपबन्ध {जैसे कि विद्युत–दर न्यूनतम प्रभार आदि) भी उपरोक्त कथित आधिक्य मांग पर लागू होंगे।

(छ) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) अर्थदण्ड :

i. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। **ऊर्जा कारक के अवधारण हेतु, केवल अनुगामी तर्क (लैग लॉजिक) का उपयोग किया जाएगा तथा अग्रगामी (लीडिंग) ऊर्जा–कारक अभिलिखित होने पर कोई ऊर्जा कारक अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।**

ii. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को शीर्ष ''ऊर्जा प्रभारों'' के अन्तर्गत कुल देयक राशि पर 5 (पांच) प्रतिशत + 2 (दो) प्रतिशत की दर से जिसके अनुसार औसत मासिक ऊर्जा कारक 85% प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, अधिरोपित किया जाएगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35% से अधिक नहीं होगा।

iii. इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान ''कुल किलोवाट ऑवर्स' तथा 'कुल किलोवोल्ट एम्पीयर ऑवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक के इस अनुपात (%) को निकटतम एकीकृत अंश तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

iv. उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उपभोक्ता उपरोक्त के संबंध में इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत स्तर तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु प्राधिकृत होगा :

- यह छः माह की अवधि उक्त तिथि से मान्य की जाएगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया था।

- समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की बिलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता अनुवर्ती तीन माह में (इस प्रकार कुल–मिलाकर चार माह) कम से कम 90% से अधिक औसत ऊर्जा कारक संधारित करता है तो कथित छः माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा इन्हें (अर्थदण्ड प्रभारों) आगामी मासिक देयकों में आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

- उल्लेखित की गई यह सुविधा, नवीन उपभोक्ता जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से छः माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न रहा हो, को एक से अधिक बार देय न होगी। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90% प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

(ज) आपात पोषण विस्तार (Emergency Feed Extension) : यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि यदि कर्षण उपकेन्द्र (traction sub station) या फिर भार प्रदायक पारेषण तन्तुपथ या उसके किसी भाग में किसी आपात स्थिति के फलस्वरूप बाजू के कर्षण उपकेन्द्र पर अन्तरित कर दिया जाता है तो माह हेतु उक्त बाजू के उपकेन्द्र हेतु उच्चतम मांग (M.D.) पिछले तीन माह की औसत उच्चतम मांग (MD) के बराबर होगी जिसके अन्तर्गत कोई आपात स्थिति घटित न हुई हो।

(झ) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

<u>विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–2</u>

<u>कोयला खदानें (Coal mines) :</u>

<u>प्रयोज्यता</u> :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) दर कोयला खदानों को पावर, वातायन (वेटिंलेशन), बत्तियां, पंखे, कूलर आदि हेतु लागू होगी जिससे अभिप्रेत है समस्त ऊर्जा का कोयला खदानों, कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन में प्रकाश व्यवस्था, प्रांगण की प्रकाश व्यवस्था आदि तथा उनसे संलग्न आवासीय उपयोग में विद्युत ऊर्जा की खपत को सम्मिलित किया जाना।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

स.क्र.	उपभोक्ता उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
	कोयला खदानें			
1	11 केवी प्रदाय	620	670	580
2	33 केवी प्रदाय	630	650	570
3	132 केवी प्रदाय	640	630	560
4	220 केवी प्रदाय	650	600	530

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

क. **प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption)** निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलो वाट ऑवर में) प्रति केवीए संविदा मांग का
220/132 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	1620
33/11 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

ख. **समयानुपाती (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार लागू होगा।

ग. अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–3

औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल (Industrial, Non Industrial and Shopping Malls)

प्रयोज्यता :

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.1 (औद्योगिक) समस्त उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को, खदानों को सम्मिलित कर (कोयला खदानों को छोड़कर) पावर, बत्ती, पंखा आदि को लागू होगा जिससे अभिप्रेत है कार्यालयों, मुख्य फेक्टरी भवन, भण्डारों, केन्टीन, उद्योगों की आवासीय कालोनियों, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था (कम्पाऊंड लाईटिंग), औद्योगिक इकाईयों में स्थित सामान्य तथा सहायक (अनुषंगी) सुविधाएं, जैसे कि बैंक, सामान्य प्रयोजन की दुकानें, जलप्रदाय, जलमल उद्‌वहन व्यवस्था (पम्प), पुलिस थाने, आदि तथा डेरी इकाईयां जहां दूध का प्रसंस्करण (शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर)अन्य दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.2 (गैर–औद्योगिक) रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, होटलों, अस्पतालों, संस्थानों आदि (उपभोक्ताओं के समूह को छोड़कर) जैसी स्थापनाओं को लागू होगा जिनके पावर, बत्ती तथा पंखा आदि के मिश्रित भार हैं जिस से अभिप्रेत है कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन, प्रांगण की प्रकाश व्यवस्था (कम्पाऊंड लाईटिंग) आदि हेतु खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना। इसमें समस्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ता भी सम्मिलित होंगे, जो निम्नदाब गैर–घरेलू श्रेणी में परिभाषित होते हैं, बशर्ते उच्चदाब उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा को किसी भी प्रकार से अन्य किसी व्यक्ति को न तो पुनर्वितरित करेगा अथवा न ही इसे उप–भाटक (सब–लेट) पर प्रदान करेगा।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.3 (शॉपिंग मॉल) शॉपिंग मॉल की स्थापनाओं को लागू होगा जिनमें निम्न परिभाषित गैर–औद्योगिक समूह सम्मिलित हैं जो इस अनुसूची के अंतर्गत (झ) में दर्शाये विशिष्ट निबन्धनों तथा शर्तें के अध्यधीन होंगे।

शॉपिंग मॉल किसी शहरी क्षेत्र में एक बहुमंजिला क्रय–विक्रय व्यापार केन्द्र (multi-storeyed shopping centre) है जो केवल पैदल भ्रमण करने वालों के लिये समावृत होता है जिसमें घेरी गई भूमि के अन्तर्गत पैदल चलने वालों के लिये मार्ग निर्मित होते हैं तथा जिसका किसी प्रबन्धन संस्था/विकासक (डेवलपर) द्वारा एक इकाई के रूप में स्वतंत्र खुदरा स्टोर समूह, सेवाओं तथा पार्किंग स्थलों का निर्माण तथा अनुरक्षण किया जाता है।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.4 [गहन विद्युत उद्योग (पावर इन्टेंसिव इन्डस्ट्रीज)] श्रेणी लद्यु इस्पात संयन्त्रों (मिनी स्टील प्लांट या एमएसपी) मय रोलिंग मिल्स, स्पोंज आयरन संयन्त्र के, जो एक ही परिसर में स्थिति हों, विद्युत–रासायनिक (इलेक्ट्रो–केमिकल)/विद्युत–ताप उद्योग (इलेक्ट्रो–थर्मल इण्डस्ट्रीज), फैरो–अलॉय उद्योग, जिसका तात्पर्य तथा इसमें सम्मिलित होगी फैक्टरी परिसर में खपत की गई समस्त विद्युत तथा कार्यालयों, मुख्य फैक्टरी भवन, गोदामों केंटीन, उद्योगों के आवासीय परिसरों (कालोनियों) में प्रकाश व्यवस्था, परिसर प्रकाश व्यवस्था (कम्पाऊन्ड लाईटिंग) आदि।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता की उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
3.1	**औद्योगिक**			
	11 केवी प्रदाय	330	660	600
	33 केवी प्रदाय	510	650	550
	132 केवी प्रदाय	610	605	525
	220/400 केवी प्रदाय	620	565	500
3.2	**गैर–औद्योगिक**			
	11 केवी प्रदाय	300	680	630
	33 केवी प्रदाय	430	670	610
	132 केवी प्रदाय	540	620	550
3.3	**शॅापिंग मॉल**			
	11 केवी प्रदाय	270	680	625
	33 केवी प्रदाय	375	660	590
	132 केवी प्रदाय	510	600	540
3.4	**गहन विद्युत उद्योग (Power Intensive Industries)**			
	33 केवी प्रदाय	530	500	500
	132 केवी प्रदाय	640	480	480
	220 केवी प्रदाय	660	450	450

विशिष्ट निबन्धन शर्तें

(क) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption) : उपरोक्त दर्शाई गई समस्त श्रेणियों हेतु निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	उप–श्रेणी	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलोवाट ऑवर) में प्रति केवीए, संविदा मांग का
220/132 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	रोलिंग मिलें	1200
	शैक्षणिक संस्थाएं	720
	अन्य	1800
33/11 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	शैक्षणिक संस्थाएं	600
	100 केवीए तक की संविदा मांग	600
	अन्य	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(ख) समयानुपाती (Time of Day TOD) अधिभार/छूट : यह अधिभार (surcharge)/ छूट (rebate) उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(ग) ग्रामीण बहुल क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय करने वाले ग्रामीण संभारकों (फीडरों) के माध्यम से छूट : इस श्रेणी के अन्तर्गत उच्च दाब उपभोक्ता जो ग्रामीण संभरकों (फीडर) के माध्यम से विद्युत प्रदाय प्राप्त करते हैं, वे उपरोक्तानुसार तत्संबंधी वोल्टेज स्तरों हेतु विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों पर 5% की छूट तथा न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) पर 20% कटौती की पात्रता रखेंगे।

(घ) विद्यमान उच्च दाब संयोजनों हेतु छूट (Rebate for existing connections): ऊर्जा प्रभारों में 10 प्रतिशत की छूट ग्रामीण संभरकों के माध्यम से धनात्मक मासिक खपत पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के उसी माह के दौरान विद्युत खपत के संबंध में लागू होगी।

टीप : संविदा मांग में वृद्धि होने की दशा में, धनात्मक खपत की गणना आनुपातिक पद्धति से की जाएगी।

(ङ) नवीन उच्च दाब संयोजनों हेतु छूट (Rebate for new HT connections): नवीन एचवी 3.1 विद्युत–दर श्रेणी संयोजनों हेतु ऊर्जा प्रभारों में छूट रू. 1 प्रति यूनिट अथवा 20 प्रतिशत की दर से, इनमें से जो भी कम हो, अभिलिखित खपत पर लागू होगी। यह छूट ऐसी नवीन परियोजनाओं हेतु विद्युत संयोजन की तिथि

से पांच वर्ष तक अनुज्ञेय की जाएगी जिनके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी से अनुबन्ध वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान अन्तिम किये गये हों तथा यह भी कि विद्यमान संयोजनों में परिवर्तन किये जाने के आधार पर कोई छूट लागू न होगी।

टीप : *हरित मैदानी परियोजना (Green field Project) ऐसी परियोजना होगी जहां उपभोक्ता भू–धरातल के स्तर पर नवीन उद्योग/संयंत्र के निर्माण में पूंजी निवेश करता है तथा यह भी कि उक्त विशिष्ट भूमि पर पूर्व में कोई निर्माण कार्य/संरचना अस्तित्व में न हों।*

(च) आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयंत्र उपभोक्ताओं हेतु छूट (Rebate for Captive Plant Consumers) :

प्रयोज्यता (Applicability) : यह छूट (रिबेट) ऐसे उपभोक्ताओं को लागू होगी–

i. जिनके द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी विद्युत मांग की पूर्ति या तो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अपने आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयंत्रों से की गई हो।

ii. जिनके द्वारा विद्युत धनात्मक खपत अभिलेखित की गई हो, अर्थात् याचिकाकर्ताओं द्वारा आधार वर्ष (वित्तीय वर्ष 2016–17)[2] के किसी माह की तुलना में चालू वर्ष (वित्तीय वर्ष 2017–18) के दौरान उपभोग किये गये यूनिटों में वृद्धि दर्ज की गई हो।

iii. यह छूट वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत किये गये अनुरोध–पत्र की तिथि से पांच वर्ष की अवधि हेतु लागू होगी।

iv. उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को इस आशय का अनुरोध पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से उसके विद्यमान आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयंत्र से परिवर्तन द्वारा विद्युत आपूर्ति करने का इच्छुक है।

v. उपभोक्ता की धनात्मक यूनिट संख्या पर रू 2 प्रति यूनिट की छूट, आबद्ध विद्युत खपत (Captive Consumption) में कमी की जाने के अध्यधीन निम्न क्रियाविधि के अनुसार लागू होगी:

---

[2]. शुद्धि पत्र दिनांक 1.06.2017 को जारी किया गया

	वित्तीय वर्ष 2016–17		वित्तीय वर्ष 2017–18		विद्युत वितरण कंपनी से धनात्मक खपत	आबद्ध उत्पादित विद्युत में कमी	10 प्रतिशत की छूट हेतु विशिष्ट निबन्धन एवं शर्तों की कंडिका (घ) के अनुसार प्रयोज्य यूनिटों की संख्या	धनात्मक यूनिटों पर रू 2 प्रति यूनिट
	विद्युत वितरण कंपनी से खपत	आबद्ध उत्पादन यूनिटों की संख्या	विद्युत वितरण कंपनी से खपत	आबद्ध उत्पादन यूनिटों की संख्या				
					यूनिट संख्या	यूनिट संख्या		
	(A1)	(B1)	(A2)	(B2)	x=A2-A1	Y=B1-B2		
परिदृश्य–1	100	90	110	90	10	0	10	0
परिदृश्य–2	100	90	110	80	10	10	0	10
परिदृश्य–3	100	90	110	70	10	20	0	10
परिदृश्य–4	100	90	100	80	0	10	0	0
परिदृश्य–5	100	90	120	80	20	10	10	10

X = आबद्ध पहुंच उपभोक्ता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के किसी माह के दौरान अभिलेखित की गई धनात्मक खपत जैसा कि इसकी तुलना पूर्व वर्ष के उक्त माह से की गई है।

और

y = चालू वित्तीय वर्ष के किसी माह के दौरान, आबद्ध (केप्टिव) संयंत्र द्वारा उपभोग (स्व–उपभोग) की गई यूनिटों की संख्या में कमी की मात्रा जैसा कि इसकी तुलना पूर्व वर्ष के उक्त माह से की गई है।

धनात्मक खपत के अन्य समस्त प्रकरणों हेतु, अर्थात् जब x>y (अर्थात् 'x' की मात्रा 'y' से अधिक हो) 'x-y' यूनिटों पर ऊर्जा प्रभारों में 10 प्रतिशत की विद्यमान छूट लागू होगी (एचवी–3 हेतु विशिष्ट निबंधनों एवं शर्तों की कंडिका ''घ'' के अन्तर्गत धनात्मक खपत हेतु छूट के अनुसार)।

परिदृश्य 1 : आबद्ध विद्युत उत्पादन (केप्टिव जनरेशन) में किसी प्रकार की कमी का होना परिलक्षित नहीं होता, परन्तु विद्युत वितरण कम्पनी (discom) के माध्यम से केवल धनात्मक वृद्धि हुई हो, ऐसे में विद्युत वितरण कम्पनी से धनात्मक खपत पर ऊर्जा प्रभारों पर 10 प्रतिशत की छूट लागू होगी (एचवी–3 हेतु विशिष्ट निबंधनों एवं शर्तों की कंडिका ''घ'' के अन्तर्गत धनात्मक खपत हेतु छूट के अनुसार)।

परिदृश्य 2 : विद्युत वितरण कम्पनी से धनात्मक खपत की बराबर मात्रा द्वारा आबद्ध विद्युत खपत (Captive Consumption) में कमी के कारण हो, ऐसे में धनात्मक यूनिटों पर दो रूपये प्रति यूनिट की छूट प्रदान की जाएगी।

परिदृश्य 3 : विद्युत वितरण कम्पनी से धनात्मक खपत की तुलना में आबद्ध विद्युत उत्पादन (Captive Generation) में कमी दर्ज की गई हो, ऐसे में यूनिटों की अन्तर की मात्रा जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है, रूपये दो प्रति यूनिट की छूट की अर्हता रखेंगे।

परिदृश्य 4 : आबद्ध विद्युत उत्पादन में कमी से असंबद्ध विद्युत वितरण कम्पनी से धनात्मक खपत के अभाव में कोई छूट लागू न होगी।

परिदृश्य 5 : यह परिदृश्य आबद्ध विद्युत उत्पादन (Captive Generation) 'y' में कमी की तुलना में विद्युत वितरण कम्पनी (Discom) से उच्चतर धनात्मक खपत 'x' प्रदर्शित करता है, ऐसे में 'x-y' से तत्संबंधी यूनिट ऊर्जा प्रभारों हेतु 10 प्रतिशत प्रति यूनिट छूट की अर्हता रखेंगे (एचवी–3 हेतु विशिष्ट निबंधनों एवं शर्तों की कंडिका ''घ'' के अन्तर्गत धनात्मक खपत हेतु छूट के अनुसार), जब कि 'y' यूनिट रू दो प्रति यूनिट छूट की अर्हता रखेंगे।

(छ) शॉपिंग मॉल हेतु, विनिर्दिष्ट अतिरिक्त निबंधन तथा शर्तें (Additional Specific terms and conditions for Shopping mall):

(i) वैयक्तिक उपभोक्ताओं को (Individual end users) ऐसी विद्युत–दर (टैरिफ) अधिरोपित नही की जाएगी जो निम्न दाब संयोजन के प्रकरण में गैर–घरेलू वाणिज्यिक विद्युत–दर (उपश्रेणी एलवी 2.2) तथा उच्च दाब संयोजन के प्रकरण में उच्च दाब गैर–औद्योगिक विद्युत–दर श्रेणी (उपश्रेणी एचवी 3.2) से अधिक हो, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अवधारित किया गया हो।

(ii) इस श्रेणी के अन्तर्गत, समस्त उपभोक्ताओं (end users) को शॉपिंग मॉल में विद्युत प्रदाय की प्राप्ति तथा उपलब्धि हेतु विद्युत–दर के प्रलाभ की प्राप्ति हेतु प्रबन्धक संस्थान/विकासक (Developer) तथा अनुज्ञप्तिधारी के साथ एक त्रि–पक्षीय अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

(ज) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया है।

———

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–4

मौसमी (Seasonal) :–

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) ऐसे मौसमी (सीजनल) उद्योगों/उपभोक्ताओं को लागू होगी जिन्हें एक वर्ष में उत्पादन के प्रयोजनों से उक्त वर्ष में निरंतर एक सौ अस्सी दिवस की अवधि हेतु तथा न्यूनतम तीन माह की अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। **यदि घोषित मौसम/मौसम बाह्य (season/off-season) का विस्तार दो विद्युत–दर (टैरिफ) अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में संबंधित अवधि की विद्युत–दर प्रयोज्य होगी।**

अनुज्ञप्तिधारी इस विद्युत–दर (टैरिफ) की अनुमति केवल मौसमी उपयोग वाले किसी उद्योग को ही अनुज्ञेय करेगा।

यह विद्युत–दर मिनी/सूक्ष्म तथा लघु जल विद्युत संयन्त्रों की बिना किसी उच्चतम सीमा के, उक्त अवधि हेतु, जिसके लिये विद्युत प्राप्त की जाएगी, संयन्त्रों के अनुरक्षण हेतु विद्युत की अनिवार्य आवश्यकताओं हेतु भी लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
मौसम (Season) के दौरान			
11 केवी प्रदाय	340	630	570
33 केवी प्रदाय	370	620	540
मौसम–बाह्य (ऑफ सीजन) के दौरान			
11 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर, रूपये 340	756 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभार का 120 प्रतिशत	लागू नहीं
33 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर, रूपये 370	744 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभार का 120 प्रतिशत	लागू नहीं

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(क) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत संविदा मांग का 900 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(ख) **समयानुपाती (Time of Day-TOD) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(ग) उपभोक्ता को चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु मौसम के तथा मौसम–बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने, विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा। यदि उपभोक्ता द्वारा इस आदेश के जारी होने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को चालू वित्तीय वर्ष के लिये उसके मौसम/मौसम–बाह्य महीनों की घोषणा कर दी गई हो तो इसे इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के संबंध में स्वीकार कर लिया जाएगा तथा इस हेतु वैध माना जाएगा।

(घ) उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) यह विद्युत–दर अनुसूची (tariff schedule) उन सम्मिश्रित इकाईयों (composite units) को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

(च) उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को पिछले तीन मौसमों के अंतर्गत उच्चतम औसत मासिक खपत के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी मौसम–बाह्य माह में कोई खपत इस सीमा से अधिक पाई जाए तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण टैरिफ वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक विद्युत–दर अनुसूची (tariff schedule) के अनुसार की जाएगी।

(छ) उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग के 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग संविदा मांग के 31.5% (संविदा मांग के 30% का 105%) से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक विद्युत–दर अनुसूची (tariff schedule) के अनुसार की जाएगी।

(ज) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–5

सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी एचवी–5.1 उद्वहन सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन) योजनाओं, समूह सिंचाई (ग्रुप इरीगेशन), सार्वजनिक उपयोगिता की जलप्रदाय योजनाओं, जलमल उपचार सयंत्रों/जलमल पंपिंग संयत्रों में पावर प्रदाय तथा पंप हाऊस में प्रकाश व्यवस्था हेतु उपयोग की गई ऊर्जा हेतु लागू होगी।

टीप : निजी जलप्रदाय योजनाएँ, संस्था द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों/ टाऊनशिपों हेतु संचालित की जा रही जलप्रदाय आदि योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी, वरन् इनकी बिलिंग समुचित विद्युत–दर (टैरिफ) श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे उक्त संस्था संबद्ध है। यदि जलप्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उच्चतम विद्युत–दर (टैरिफ) प्रयोज्य होगी।

टैरिफ श्रेणी एचवी–5.2 कृषि पंप संयोजनों को छोड़कर अन्य विद्युत प्रदाय, जैसे कि अंडे सेने के स्थल (हैचरी), मत्स्य तालाबों, कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्म), पशु–प्रजनन केन्द्रों (केटल ब्रीडिंग फार्म), चरागाह (ग्रासलेंड), सब्जी/फल/पुष्प कृषि (फ्लोरीकल्चर), कुकरमुत्ता (मशरूम) उगाने वाली इकाईयों, आदि तथा डेरी [वे डेरी इकाईयां जहां केवल दूध निकालने का कार्य तथा इसका प्रसंस्करण जैसे कि शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चुरीकरण आदि किया जाता है] को लागू होगी। परन्तु ऐसी इकाईयों में, जहां दूध का प्रसंस्करण दूध के अन्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है वहां बिलिंग, एचवी–3.1 (औद्योगिक) श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

क्रमांक	उपभोक्ताओं की उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
5.1	**सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य, समूह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई योजनाएं**		
	11 केवी प्रदाय	250	550
	33 केवी प्रदाय	270	530
	132 केवी प्रदाय	300	500
5.2	**कृषि संबंधी अन्य उपयोग**		
	11 केवी प्रदाय	260	555
	33 केवी प्रदाय	280	535
	132 केवी प्रदाय	310	505

विशिष्ट निबंधन तथा शर्ते :

(क) **प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत :** संविदा मांग का 720 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(ख) **समयानुपाती (Time of Day-TOD) अधिभार/छूट** : उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(ग) **मांग–परक प्रबन्धन (Demand Side Management) अपनाए जाने पर प्रोत्साहनः** ऊर्जा बचत उपकरणों [जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] की स्थापना तथा उपयोग किये जाने पर उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों के 5% के बराबर दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय होगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका अनुपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को उपयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हों। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करनी होगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं हेतु प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक जानकारी अपने वैबस्थल (वैबसाईट) पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

(घ) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–6

थोक आवासीय प्रयोक्ता (Bulk Residential Users)

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.1** औद्योगिक अथवा किसी अन्य टाऊनशिप [उदाहरणतया विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, सैनिक अभियन्ता सेवा (एमईएस), सीमान्त ग्राम, आदि] के लिए केवल घरेलू प्रयोजन हेतु, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, पंखे, ऊष्मा प्रदाय (हीटिंग) हेतु लागू होगी, बशर्ते यह कि अत्यावश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे कि आवासीय क्षेत्र में गैर–घरेलू विद्युत प्रदाय, पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु संयोजित भार निम्नानुसार विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के अंतर्गत होगा :–

(i) जलप्रदाय तथा जलमल (सीवेज) पंपिंग, अस्पताल हेतु–**कोई सीमा का बंधन नहीं होगा**

(ii) गैर–घरेलू/वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु समन्वित रूप से–**कुल संयोजित भार का 20 प्रतिशत**

टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.2**, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 798 (ई) दिनांक 9 जून, 2005 के अनुसार पंजीकृत सहकारी समूह गृह–निर्माण समितियों तथा अन्य पंजीकृत समूह गृह–निर्माण समितियों तथा वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ताओं, शासन/धर्मस्व–न्यास द्वारा संचालित किये जा रहे वृद्धावस्था आवास गृहों (ओल्ड एज होम्स), वरिष्ठ नागरिकों हेतु दिवा–देखभाल केन्द्रों (डे कैयर सेंटर्स), संरक्षण गृहों एवं अनाथालयों को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी। उपभोक्ताओं की इस श्रेणी हेतु निबन्धन तथा शर्ते विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के सुसंबद्ध उपबन्धों, जैसे कि वे समय–समय पर संशोधित किये जाएं, के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
1.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.1 हेतु**			
	11 केवी प्रदाय	290	585	530
	33 केवी प्रदाय	310	570	510
	132 केवी प्रदाय	340	530	480
2.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.2 हेतु**			
	11 केवी प्रदाय	180	580	520
	33 केवी प्रदाय	185	560	500
	132 केवी प्रदाय	195	520	470

विशिष्ट निबंधन तथा शर्ते :

(क) **प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत** संविदा मांग का 780 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए होगी । न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(ख) समस्त अन्तिम छोर उपभोक्ताओं (end users) को इस श्रेणी के अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) के प्रलाभ की प्राप्ति हेतु समूह गृह निर्माण समिति तथा अनुज्ञप्तिधारी के साथ समिति के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु, त्रिपक्षीय समझौता करना होगा। वैयक्तिक उपभोक्ता को तत्स्थानी निम्न दाब श्रेणी की प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) से अधिक की दर अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(ग) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–7

ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों हेतु समकालन का प्रावधान (Synchronization of Power for generators connected to the Grid)

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) ऐसे विद्युत उत्पादकों को लागू होगी जो पूर्व से ही ग्रिड से संयोजित हैं तथा ग्रिड से समकालन हेतु विद्युत प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

समस्त वोल्टेज स्तरों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) :

श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
विद्युत उत्पादकों का ग्रिड से समकालन (Synchronization)	875

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(क) ग्रिड से समकालन (Synchrornization) हेतु विद्युत संयंत्र में विद्युत प्रदाय उच्चतम मूल्यांकन (Rating) इकाई की क्षमता के 15% से अधिक नहीं किया जाएगा।

(ख) विद्युत उत्पादकों हेतु, आबद्ध (कैप्टिव) विद्युत उत्पादकों को सम्मिलित करते हुए, न्यूनतम खपत की शर्त लागू न होगी। बिलिंग माह के दौरान विद्युत खपत की बिलिंग विद्युत प्राप्ति के प्रत्येक अवसर पर ऊर्जा के अभिलेखन हेतु की जाएगी।

(ग) आबद्ध (कैप्टिव) विद्युत उत्पादक को विद्युत प्रदाय विनिर्माण (production) गतिविधि हेतु विद्युत आपूर्ति की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जिस हेतु वह सुसंबद्ध विनियमों के अन्तर्गत वैकल्पिक आलम्ब (stand-by support) प्राप्त कर सकता है।

(घ) केवल संयंत्र के क्रियाशील होने (कमिशनिंग) के उपरान्त ही ग्रिड के साथ समकालन (Synchrornization) उपलब्ध कराया जाएगा।

(ङ) ग्रिड के साथ समकालन के प्रयोजन हेतु प्रत्येक अवसर पर विद्युत आपूर्ति अधिकतम दो घंटे की अवधि हेतु ही उपलब्ध कराई जाएगी।

(च) विद्युत उत्पादक, आबद्ध (कैप्टिव) विद्युत उत्पादक को सम्मिलित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी के साथ ग्रिड का समकालन किये जाने बाबत विद्युत आवश्यकता की आपूर्ति हेतु एक अनुबंध का निष्पादन करेंगे, जिसमें उपरोक्त निबंधन तथा शर्तों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

————

उच्चदाब विद्युत–दर की सामान्य निबंधन तथा शर्तें (General Terms and Conditions of High Tension Tariff)

<u>निम्न निबंधन तथा शर्ते समस्त उच्चदाब उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होंगी, जो तत्संबंधी श्रेणी हेतु उल्लेखित टैरिफ अनुसूची के अंतर्गत उक्त श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होंगी :</u>

1.1 संविदा मांग को केवल पूर्णांक में ही व्यक्त किया जाएगा।

1.2 **सेवा का स्वरूप (Character of Service) :** सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के अनुसार होगा जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया जाए।

1.3 **प्रदाय बिन्दु (Point of Supply)** :–

(क) उपभोक्ता को सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय सामान्यतः एकल बिन्दु पर ही प्रदान किया जाएगा।

(ख) रेलवे कर्षण के प्रकरण में, प्रत्येक उपकेन्द्र पर विद्युत प्रदाय पृथक से मीटरीकृत तथा प्रभारित किया जाएगा।

(ग) कोयला खदानों के प्रकरण में, उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय सामान्यतः एक ही बिन्दु पर प्रदान किया जाएगा। तथापि, उपभोक्ता के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय, उसकी तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदाय किया जा सकेगा परन्तु ऐसे प्रकरण में मापन तथा बिलिंग व्यवस्था प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु के लिये पृथक–पृथक की जाएगी।

1.4 **मांग का अवधारण (Determination of Demand) :** प्रत्येक माह में विद्युत प्रदाय की **अधिकतम मांग (maximum demand)** माह के दौरान 15 मिनट की किसी निरंतर अवधि के दौरान, मांग के मापन के 'सलाईडिंग विंडो सिद्धांत' के अनुसार प्रदाय बिन्दु पर प्रदत्त अधिकतम किलोवाट एम्पीयर घंटे का चार गुना होगी।

1.5 **बिलिंग मांग (Billing Demand)** : माह के दौरान, माह हेतु, बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। ऐसे प्रकरण में जहां विद्युत की प्राप्ति निर्बाध पहुंच (खुली पहुंच) (open access) से प्राप्त की जाए, वहां माह हेतु बिलिंग मांग माह के दौरान वास्तविक

अधिकतम केवीए मांग होगी, जिसमें उक्त अवधि हेतु निर्बाध पहुंच के माध्यम से प्राप्त की गई मांग शामिल न होगी जिस हेतु निर्बाध पहुंच प्राप्त की जाती हो अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, मप्र विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कण्डिका 3.4 के अध्यधीन होगी।

टीप : बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात् 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (fraction) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (ignored) किया जाएगा।

1.6 टैरिफ न्यूनतम खपत की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1) उपभोक्ता को उसकी श्रेणी हेतु बिलिंग प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर्स में) हेतु विनिर्दिष्ट संविदा मांग की यूनिट संख्या प्रति केवीए के आधार पर इस तथ्य से असंबद्ध की जाएगी कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है, अथवा नहीं।

2) यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपरोक्त उल्लेखित की गई खपत से कम हो तो उसकी बिलिंग प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) जो उसकी श्रेणी हेतु प्रति माह विनिर्दिष्ट की गई है, के बारहवें (1/12) भाग पर की जाएगी।

3) उक्त माह, जिसमें वास्तविक संचित खपत (cumulative consumption) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत के बराबर हो जाती है अथवा इससे अधिक हो जाती है तो वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में न्यूनतम मासिक खपत हेतु और आगे बिलिंग नहीं की जाएगी तथा केवल वास्तविक अभिलिखित खपत की बिलिंग ही की जाएगी।

4) विद्युत–दर (टैरिफ) न्यूनतम खपत को उक्त माह में समायोजित किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी वास्तविक अथवा बिल की गई मासिक खपत संचयी उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, आनुपातिक वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती हो तथा यदि वास्तविक संचयी खपत पूर्णतया उक्त माह में समायोजित नहीं हो पाती है तो समायोजन को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलोवाट ऑवर (KWh)

वार्षिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट ऑवर (kWh) हो :

माह	वास्तविक संचयी खपत (kWh)	संचयी न्यूनतम खपत (kWh)	2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो (kWh)	वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत (kWh)	यूनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4–5) (kWh)
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

1.7 **पूर्णांक करना (Rounding off)** : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा। अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की जाएगी तथा 50 पैसे से अधिक के राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

<u>प्रोत्साहन/छूट/अर्थदण्ड</u> (Incentive/Rebate/Penalties):

1.8 ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (Power Factor Incentive)

ऊर्जा कारक प्रोत्साहन का भुगतान निम्नानुसार देय होगा :

ऊर्जा कारक	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर देय प्रतिशत प्रोत्साहन
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	1.0 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर से
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	2.0 प्रतिशत (दो प्रतिशत) की दर से
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	3.0 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दर से
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) की दर से
99 प्रतिशत से अधिक	7 प्रतिशत (सात प्रतिशत) की दर से

1.9 **भार कारक की गणना तथा भार कारक प्रोत्साहन (Load Factor Calculation and Load Factor Incentive)**

1) **भार–कारक (Load Factor)** : की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (Load Factor) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मसिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग ऊर्जा कारक}}$$

i. माह के दौरान मासिक खपत, उपभोग की गई यूनिटों (kWh) में खपत के अनुसार होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के अलावा बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिटों की संख्या को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

ii. बिलिंग माह में अनुसूचित विद्युत अवरोध (Scheduled Outages) घंटों की संख्या शामिल न होगी।

iii. मांग, अभिलिखित की गई अधिकतम मांग अथवा संविदा मांग इनमें से जो अधिक हो, होगी।

iv. ऊर्जा कारक 0.9 अथवा वास्तविक ऊर्जा कारक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत) को निकटतम निम्न एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा। यदि उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा निर्बाध पहुंच (open access) के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो, तो अन्य स्त्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिट, उपभोक्ता को बिल की गई शुद्ध ऊर्जा (खपत किये गये यूनिटों में से अन्य स्त्रोतों से प्राप्त यूनिटों को घटाकर) को ही केवल भार कारक की गणना के प्रयोजन से माना जाएगा। उपभोक्ता हेतु बिलिंग के प्रयोजन से माह के दौरान मापयन्त्र (मीटर) वाचन की दो क्रमिक (Consecutive) तिथियों के बीच की अवधि दिवस संख्या के रुप में होगी।

1.10 **अग्रिम भगतान हेतु प्रोत्साहन (incentive Advance Payment)** : खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी **अग्रिम भुगतान** की राशि जिसके लिए देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह का प्रोत्साहन उक्त राशि {प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) राशि को छोड़कर} पर, जो अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती हो, उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उसके खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।

1.11 **ऑनलाईन देयक भुगतान पर छूट (Rebate for onlline bill Payment)** : देयक का ऑनलाईन व्यवस्था द्वारा भुगतान किये जाने पर कुल देयक राशि पर 0.5% की छूट अधिकतम राशि रूपये 1000 के अध्यधीन लागू होगी।

1.12 त्वरित भुगतान हेतु प्रोत्साहन (Prompt Payment Incentive) : जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रू. 1 लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में देयक राशि {बकाया राशि (Arrears), प्रतिभूति निक्षेप (Security deposit), मापयंत्र भाड़ा (meter rent) तथा शासकीय उद्ग्रहण (Government levies), अर्थात् विद्युत शुल्क (Electricity Duty) तथा उपकर (cess) को छोड़कर} के तत्पर भुगतान पर 0.25% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी।

1.13 समयानुपाती (Time of Day -TOD) अधिभार/छूटः यह योजना उन उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होगी जहां इसे विनिर्दिष्ट किया गया हो। यह योजना दिवस की अलग–अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात सामान्य अवधि (normal period), व्यस्ततम अवधि–भार (पीक लोड) तथा व्यस्ततम–बाह्य अवधि भार (ऑफ पीक लोड) हेतु। खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	व्यस्ततम/व्यस्ततम–बाह्य अवधि (peak/off peak period)	तत्संबंधी अवधि हेतु खपत की गई विद्युत पर ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
1	सायं व्यस्ततम–भार अवधि (peak load period) (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर के अनुसार
2	व्यस्ततम–बाह्य अवधि (off-peak load period) (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 20 प्रतिशत, छूट के रूप में

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जाएगी, अर्थात्, स्थाई प्रभारों पर दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट प्रयोज्य न होंगे।

1.14 ऊर्जा कारक अर्थदंड (पावर फेक्टर पैनाल्टी) (रेलवे कर्षण एचवी–1 श्रेणी से अन्य उपभोक्ताओं हेतु)

(i) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे शीर्ष ''ऊर्जा प्रभारों'' के अन्तर्गत प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु, जिससे औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है हेतु अतिरिक्त कुल बिल राशि पर 1% (एक प्रतिशत) अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा।

(ii) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे शीर्ष ''ऊर्जा प्रभारों'' के अन्तर्गत कुल बिल राशि पर 5% (पांच प्रतिशत)

(+) 2% (दो प्रतिशत) की दर से, प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु जिससे औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35% से अधिक न होगा।

(iii) यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता की स्थापना के संयोजन को विच्छेदित करने का सुरक्षित अधिकार होगा जब तक अनुज्ञप्तिधारी की तुष्टि होने तक इसमें अपेक्षित सुधार लाये जाने बाबत उचित कदम उठाये नहीं जाते। तथापि, यदि उपभोक्ता के संयोजन का विच्छेद नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी बिना किसी भेद–भाव के निम्न दाब कारक हेतु, उस पर दाण्डिक प्रभारों को अधिरोपित कर सकेगा।

(iv) इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान अभिलिखित की गई 'कुल किलोवाट ऑवर्स' तथा 'कुल किलोवोल्ट एम्पीयर ऑवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक (%) को निकटतम एकीकृत अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, तद्नसार 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च एकीकृत अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

(v) उपरोक्त कथन में भले कुछ भी क्यों न कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी माह में 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उपभोक्ता इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगाः

(क) यह 6 माह की अवधि उक्त माह से आगामी माह मान्य की जाएगी जिसके अन्तर्गत औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया हो।

(ख) समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की बिलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता आगामी तीन माह के दौरान (इस प्रकार कुल मिलाकर चार माह) कम से कम 90% औसत ऊर्जा कारक संधारित करता है तो निम्न ऊर्जा कारक के कारण बिल किये गये

प्रभारों की कथित 6 माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा इन्हें आगामी मासिक देयकों में आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

(ग) नवीन उपभोक्ता जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से 6 माह के दौरान किसी भी एक माह में 90 प्रतिशत से कम न पाया गया हो, को उपरोक्त उल्लेखित सुविधा एक से अधिक बार प्रदान नहीं की जाएगी। तत्पश्चात्, यदि निम्न औसत ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उपभोक्ता को ऐसे प्रभारों का भुगतान किसी भी अन्य उपभोक्ता की भांति करना होगा।

1.15 आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार (Additional Charges for Excess Demand) :

i. उपभोक्ता को सदैव अपनी समस्त वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के भीतर सीमित रखना होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग में संविदा मांग से 115 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाती है वहां विभिन्न अनुसूचियों में दर्शाई गई विद्युत–दरें (टैरिफ) केवल संविदा मांग की 115 प्रतिशत अधिक की सीमा तक प्रयोज्य होंगी। उपभोक्ताओं को आधिक्य मांग हेतु प्रभारित किया जाएगा जिसकी गणना स्थाई प्रभारों पर अभिलिखित अधिकतम मांग तथा संविदा मांग के 115 प्रतिशत के अन्तर के रूप में की जाएगी तथा ऐसा करते समय विद्युत–दर (टैरिफ) की अन्य निबन्धन तथा शर्तें, यदि वे लागू हों, तो वे कथित आधिक्य मांग हेतु भी लागू होंगी। किसी माह के अन्तर्गत इस प्रकार की गई आधिक्य मांग की गणना यदि कोई हो, को समस्त उपभोक्ताओं पर, केवल रेलवे कर्षण को छोड़कर, निम्न दरों के अनुसार भारित किया जाएगाः–

ii. **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy charges for excess demand)** : आधिक्य मांग अथवा अधिक संयोजित भार के कारण ऊर्जा प्रभारों पर अतिरिक्त प्रभार लागू न होंगे।

iii. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार (Fixed charges for Excess Demand)** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगीः

1. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 130 प्रतिशत तक हो (Fixed charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 130% of the contract demand)** :– संविदा मांग से 115 प्रतिशत से अधिक मांग

हेतु, स्थाई प्रभारों को, सामान्य दर की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 130 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 130% of contract demand)** :– उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 30 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर की 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभारों की बिलिंग का उदाहरण : यदि किसी उपभोक्ता की संविदा मांग 100 केवीए है तथा बिलिंग माह के दौरान अधिकतम मांग 140 केवीए है, तो उपभोक्ता की स्थाई प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

(क) 115 केवीए तक, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर

(ख) 115 केवीए से अधिक तथा 130 केवीए तक, अर्थात् 15 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत–दर की 1.3 गुना दर पर

(ग) 130 केवीए से अधिक तथा 140 केवीए तक, अर्थात् 10 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत–दर की दो गुना दर पर

iv. किसी माह में अधिक मांग की गणना को, मासिक देयकों के साथ प्रभारित किया जाएगा तथा उपभोक्ता को इसका भुगतान करना होगा।

v. उपभोक्ता को आधिक्य मांग पर सामान्य विद्युत–दर से अधिक विद्युत–दर (टैरिफ) पर बिलिंग की जाना, मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, विद्युत प्रदाय विच्छेद किये जाने संबंधी अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

1.16 **विलंबित भुगतान अधिभार (Delayed Payment Surcharge)** : देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक न किये जाने पर, उपभोक्ता को बकाया (outstanding) राशि, {बकाया पूर्व की अवशेष (एरियर्स) राशि को जोड़कर}, पर अधिभार का भुगतान 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश की दर से करना होगा। माह के किसी अंश को विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन हेतु पूर्ण माह माना जाएगा। किसी

उपभोक्ता के विद्युत संयोजन को स्थाई तौर पर विच्छेदित कर दिये जाने पर विलंबित भुगतान अधिभार प्रयोज्य न होगा।

1.17 **अनादरित धनादेशों पर सेवा प्रभार (Service charge for Dishonoured Cheques):** ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश(ों) [cheque(s)] को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां नियमों के अनुसार रूपये 1000/– प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा। यह प्रावधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात सुसंगत विधि के अन्तर्गत, उसके द्वारा कार्रवाई किये जाने के अधिकार के अध्यधीन होगा।

1.18 **उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय (Temporary Supply at HT) :** अस्थाई विद्युत प्रदाय का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में परिभाषित किये गये के अनुरूप होगा। यदि कोई उपभोक्ता अस्थाई विद्युत प्रदाय का इच्छुक हो तो इसे पृथक सेवा माना जाएगा तथा इसे निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रभारित किया जाएगा :

(क) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार सामान्य टैरिफ दरों की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किये जाएंगे। स्थाई प्रभारों की वसूली माह के दौरान संयोजन से प्राप्त की गई दिवस संख्या सेवाओं के आधार पर मासिक स्थाई प्रभारों की आनुपातिक दर पर की जाएगी। माह में दिवस संख्या को उक्त कलेण्डर माह में कुल दिवस संख्या का होना माना जाएगा।

(ख) उपभोक्ता को न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) प्रत्याभूत करनी होगी जैसा कि यह स्थाई उपभोक्ताओं को अनुपातिक आधार पर निम्न दर्शाई गई दिवस संख्या संबंधी विवरण पर प्रयोज्य है :–

$$\text{अस्थाई अवधि के लिए अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु न्यूनतम खपत} = \frac{\text{स्थाई विद्युत प्रदाय को प्रयोज्य वार्षिक न्यूनतम खपत} \times \text{अस्थाई संयोजन की दिवस संख्या}}{\text{वर्ष के अन्तर्गत दिवस संख्या}}$$

(ग) बिलिंग मांग, उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय अवधि के अंतर्गत संयोजन माह से प्रारंभ होकर बिलिंग माह की समाप्ति तक आवेदित की गई मांग अथवा उच्चतम मासिक अधिकतम मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी। उदाहरण के तौर पर :

माह	अभिलिखित की गई अधिकतम मांग (केवीए में)	बिलिंग मांग (केवीए में)
अप्रैल	100	100
मई	90	100
जून	80	100
जुलाई	110	110
अगस्त	100	110
सितम्बर	80	110
अक्टूबर	90	110
नवम्बर	92	110
दिसम्बर	95	110
जनवरी	120	120
फरवरी	90	120
मार्च	80	120

(घ) उपभोक्ता को अस्थाई संयोजन प्रदान किये जाने से पूर्व प्राक्कलित प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा जो उसके द्वारा समय–समय पर की गई संपूर्ति (Replenishment) के अध्यधीन होगा तथा जिसे संयोजन विच्छेद के उपरान्त अन्तिम देयक में समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार की अग्रिम राशि पर ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ङ) उपभोक्ता को मापन (मीटरिंग) प्रणाली हेतु भाड़े का भुगतान करना होगा।

(च) उपभोक्ता को संयोजन तथा संयोजन विच्छेद प्रभारों (connection and disconnection charges) का भुगतान भी करना होगा।

(छ) विद्यमान उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में, अस्थाई संयोजन को विद्यमान स्थाई उच्च दाब संयोजन के माध्यम से विद्युत–दर निर्धारण की निम्न पद्धति के अनुसार प्रदान किया जा सकेगाः–

(i) स्थाई प्रभारों को सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) के 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

(ii) मानी गई संविदा मांग (Deemed contract Demand-DCD) = स्थाई संयोजन हेतु संविदा मांग + अस्थाई संयोजन हेतु स्वीकृत मांग

(iii) किसी माह हेतु, बिलिंग मांग तथा स्थाई प्रभार की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

1. जब माह के दौरान अभिलिखित अधिकतम मांग (recorded MD) माह हेतु मानी गई संविदा मांग (CD) से कम पाई जाए तो माह हेतु स्थाई प्रभार (Fixed charges) शत प्रतिशत अस्थाई स्वीकृत मांग पर अस्थाई विद्युत–दर (temporary tariff) पर स्थाई प्रभारों का योग + 'a' या 'b' इनमें जो भी अधिक हो, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर स्थाई प्रभार होंगे जहां 'a' अभिलिखित अधिकतम मांग (MD) (–) अस्थाई स्वीकृत मांग तथा 'b' स्थाई संयोजन की संविदा मांग का 90 प्रतिशत भाग है।

2. जब माह के दौरान अभिलिखित अधिकतम मांग (MD) माह हेतु मानी गई संविदा मांग के बराबर पाई जाए तो माह हेतु स्थाई प्रभार, स्थाई संयोजन हेतु शत प्रतिशत संविदा मांग (CD) पर सामान्य विद्युत–दर पर स्थाई प्रभारों का योग + शत प्रतिशत अस्थाई स्वीकृत मांग पर अस्थाई विद्युत–दर पर स्थाई प्रभार होंगे।

3. जब माह के दौरान अभिलिखित अधिकतम मांग (MD) माह हेतु मानी गई संविदा मांग (CD) से अधिक पाई जाए तो माह हेतु स्थाई प्रभार, स्थाई संयोजन हेतु शत प्रतिशत संविदा मांग पर सामान्य विद्युत–दर पर स्थाई प्रभारों का योग + शत प्रतिशत अस्थाई स्वीकृत मांग पर अस्थाई विद्युत–दर पर स्थाई प्रभार + 1.5 गुना अस्थाई विद्युत–दर पर मानी गई संविदा मांग से अधिक शत प्रतिशत आधिक्य मांग पर स्थाई प्रभार होंगे।

4. स्थाई प्रभारों की वसूली मासिक स्थाई प्रभारों पर आनुपातिक दर के अनुसार उक्त दिवस संख्या के आधार पर की जाएगी जिस हेतु संयोजन (connection) से लाभ प्राप्त किया गया हो। माह में, दिवस संख्या को उक्त कलेण्डर माह में कुल दिवस संख्या का होना माना जायेगा।

(iv) माह के दौरान स्थाई संयोजन (permanent connection) से तत्संबंधी खपत, अर्थात् (A), की बिलिंग निम्न विधि द्वारा की जाएगी :

$$A = \frac{\text{संविदा मांग (स्थाई)}}{\text{मानी गई संविदा मांग अथवा वास्तविक मांग, इनमें से जो भी अधिक हो}} \times \text{कुल खपत}$$

(v) माह के दौरान अस्थाई स्वीकृत मांग से तत्संबंधी खपत, अर्थात (B) की बिलिंग, सामान्य ऊर्जा प्रभारों के 1.3 गुना दर की जाएगी तथा इसकी बिलिंग निम्न विधि के अनुसार की जाएगी :

$$B = \frac{\text{अस्थाई संयोजन हेतु स्वीकृत मांग}}{\text{मानी गई संविदा मांग अथवा अभिलिखित वास्तविक मांग, इनमें से जो भी अधिक हो}} \times \text{कुल खपत}$$

(vi) आधिक्य मांग से तत्संबंधी माह के दौरान खपत, अर्थात् (C), की गणना निम्न विधि के अनुसार की जाएगी :

C = कुल अभिलिखित खपत (–) (स्थाई संयोजन से तत्संबंधी खपत, अर्थात् A + अस्थाई स्वीकृत मांग से तत्संबंधी खपत, अर्थात् B)

(vii) उपरोक्त अभिलिखित की गई आधिक्य मानी गई संविदा मांग को आधिक्य मांग माना जाएगा। बिलिंग के प्रयोजन से, किसी माह के अन्तर्गत, इस प्रकार की आधिक्य मांग, यदि कोई हो, को अस्थाई संयोजन भार से संबद्ध माना जाएगा तथा इसे सामान्य अस्थाई संयोजन के स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों के 1.5 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा। अस्थाई संयोजन की अवधि के दौरान लेख्यांकित की गई आधिक्य मांग के अतिरिक्त प्रभारों की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार (fixed charges) = अस्थाई संयोजन हेतु ऊर्जा प्रभार प्रति केवीए* आधिक्य मांग* 1.5

आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (energy charges) = अस्थाई संयोजन हेतु प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार * 1.5 * (आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत अर्थात् C)

(ज) अस्थाई संयोजन संबंधी खपत पर भार–कारक रियायत (load factor concession) अनुज्ञेय नहीं की जाएगी।

(झ) ऊर्जा कारक प्रोत्साहन/अर्थदण्ड स्थाई संयोजन हेतु तथा समयानुपाती (Time of day) अधिभार/छूट हेतु शर्त स्थाई संयोजन की शर्तों के अनुरूप दर पर होगी।

स्थाई संयोजन हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें

1.19 विद्यमान 11 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 300 केवीए से अधिक हो तथा जो 11 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिल की गई राशि पर 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.20 विद्यमान 33 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 10,000 केवीए से अधिक हो तथा जो 33 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिल की गई राशि पर 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.21 विद्यमान 132 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 50,000 केवीए से अधिक हो तथा जो 132 केवी पर उसके अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिल की गई राशि पर 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.22 मापन प्रभारों (metering charges) की बिलिंग मीटरिंग तथा प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। माह के एक अंश को बिलिंग के प्रयोजन से पूर्ण माह माना जाएगा।

1.23 विद्युत–दर (टैरिफ) में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स) अथवा अभिकर (ड्यूटी) सम्मिलित नहीं होते जो कि तत्समय प्रचलित किसी विधि के अनुसार किसी भी समय देय हो सकते हैं। ऐसे प्रभार, यदि लागू हों, तो उपभोक्ता को इनका भुगतान विद्युत–दर (टैरिफ) प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

1.24 इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश की व्याख्या के संबंध में और/या विद्युत–दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता के संबंध में किसी विवाद होने की दशा में आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

1.25 विद्युत–दर (टैरिफ) अथवा विद्युत–दर (टैरिफ) संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु, न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की बिना लिखित अनुमति किये गये किसी आदेश को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंबद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

1.26 यदि कोई उपभोक्ता, उसी के अनुरोध पर, सुसंगत श्रेणी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई मानक प्रदाय वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय का उपयोग करता हो तो ऐसी दशा में उसकी बिलिंग उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई वोल्टेज के अनुसार की जाएगी तथा उसके द्वारा उच्चतर वोल्टेज उपयोग किये जाने के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार उस पर अधिरोपित नहीं किये जाएंगे।

1.27 ऐसे समस्त उपभोक्ताओं को, जिनके लिये स्थाई प्रभार प्रयोज्य हैं, को प्रत्येक माह में स्थाई प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा, भले ही उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

1.28 यदि इस आदेश के किसी प्रावधान को प्रभावी बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग, किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से, अनज्ञप्तिधारियों को ऐसे कार्य करने या उनका दायित्व वहन करने हेतु निर्देशित कर सकेगा जैसा कि वे आयोग के मतानुसार कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन से अत्यावश्यक या फिर समीचीन हों।

1.29 यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही कोई उपबंध, उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीत क्यों न हों।

————